सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स

तीसरा सम्मेलन

# अध्यक्षीय भाषण

कामरेड बी० टी० रणदिवे
सभापति
सी० आई० टी० यू०

सन्मुखानन्द हाल
बम्बई, मई २१-२५, १९७५

साथियो,

अपने विगत और वर्तमान अधिवेशन के दरम्यान हमने अपने कुछ सबसे बहुमूल्य और सम्मानित कामरेड खो दिये हैं।

मैं सलाम करता हूँ कामरेड मुजफ्फर अहमद की यादगार को जो भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं बंगाल में ट्रेड यूनियन और किसान आन्दोलन के प्रवर्तक थे तथा जिनका नाम अमिट रहेगा। मैं सलाम करता हूँ कामरेड हरे-कृष्ण कोङार की यादगार को जो सी पी आई (एम) की केन्द्रीय कमेटी के सद य किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी और एक विशिष्ट क्रान्तिकारी थे

मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ का० के० जी० बोस की यादगार को जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अथक योद्धा, उनके सर्व भारतीय आन्दोलन के नेता और सी पी आई (एम) के सक्रिय नेता थे।

हम अपने सम्मानित कामरेड टाजन की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं जो कि हमारी जनरल कौंसिल के सदस्य, केरल बगान मजदूरों के नेता और केरल विधान सभा के सदस्य थे।

हम अपने आन्दोलन के उन सैकड़ों शहीदों की यादगार को सलाम करते हैं जो प० बंगाल और केरल में गुण्डा गिरोहों के आतंक के शिकार हुये हैं। वे मजदूर वर्ग के सपूत और ट्रेड यूनियन आन्दोलन के नेता थे। वे मेहनतकशों और श्रमजीवी जनता के सपूत तथा जनतांत्रिक आन्दोलनों के नेता थे। हम याद करते हैं का० रामस्वामी को जो क्रान्तिकारी मजदूरों के लिये लड़ते हुये मारे गये। वे मजदूरों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, किसानों, कर्मचारियों की कतारों से आये थे। वे सब एक ही उद्देश्य के लिये, जनतंत्र और समाजवाद के लिये शहीद हो गये।

हम राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि सब राज्यों के अपने लड़ाकू मजदूरों और काडरों के सम्मान में अपना लाल झण्डा झुकाते हैं जो मजदूरों के लिये लड़ते हुये मारे गये।

हम अपने सैकड़ों कामरेडों, ट्रेड यूनियन नेताओं, जनतांत्रिक और किसान आन्दोलनों के नेताओं, प० बंगाल, केरल और अन्य राज्यों के जेलखानों में कष्ट झेलते हुये सब राजनीतिक कैदियों को एकजुटता का अपना हार्दिक सन्देश भेजते हैं।

सब राज्यों में हड़तालों के दौरान सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनपर बहुत दिनों से मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

हम उन सब को आश्वासन देते हैं कि सी आई टी यू उन सब की रिहाई के लिये प्रयत्न करेगी, उनके सांगठनिक और राजनीतिक सम्बन्ध चाहे जिससे हों।

साथियो, हम सबसे ज्यादा आश्वासन अपने कोटा के कामरेडों को, जिन्हें हाल ही में आजीवन कारावास की सजा दी गयी है, देते हैं कि हम तब तक चैन से न बैठेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं किया जाता और उन्हें रिहा नहीं किया जाता।

हम निंदा करते हैं उन बहशी सजाओं की जो प० बंगाल के बर्दवान जिले और चौबीस परगना जिले के हमारे ट्रेड यूनियन और किसान कामरेडों को दी गयी हैं। हाल ही में तीस कामरेडों को आजीवन कारावास का दण्ड और बर्दवान के कामरेड मनोज पाल को मृत्यु दण्ड दिया गया है।

हम इस आतंक के अंत की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि कामरेड पाल का मृत्युदण्ड रद्द किया जाय। हम मांग करते हैं कि दूसरों को दिये गये आजीवन दण्ड वापस लिये जायँ।

साथियो, आप सबकी तरफ से मैं अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ विशेष विजय प्राप्त करने के लिये वियतनाम और कम्बोडिया की लड़ाकू जनता का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। वियतनाम के जनवादी गणतन्त्र, दक्षिण वियतनाम की कार्यवाहक क्रान्तिकारी सरकार और वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे तथा कम्बोडिया के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने सब देशों की जनता के दुश्मन को इस तरह की विनाशकारी पराजय देकर एशिया के जनगण की लड़ाई लड़ी है।

साथियो, हिन्द चीन की जनता की ये दोनों ऐतिहासिक जीतें दुनिया के

सारे संग्रामरत करोड़ों लोगों में बड़ा विश्वास पैदा करती हैं। ये जीतें दुनिया की सारी जनता की जीतें हैं। भावी पीढ़ियां इन दोनों देशों की जनता का एहसान मानेंगी कि उन्होंने अमरीकी साम्राज्यवाद का अंतिम हार का रास्ता साफ कर दिया है।

इसके पहले किसी भी ऐसे राष्ट्र ने, जिसकी जनसंख्या कम हो, जिसके अस्त्र-शस्त्र भी अच्छे न हों और जिसे पिछड़ी हालतों में काम करना पड़ रहा हो, विनाश के नवीनतम अस्त्रों से सज्जित किसी भी विश्व शक्ति को ऐसी पराजय कभी न दी थी। लेकिन तब हम ऐसे युग में वास कर रहे हैं जो विश्व इतिहास के मोड़ की घड़ी है—ऐसा युग जिसमें साम्राज्यवाद को अन्तिम विदा लेनी होगी और समाजवाद की विजय होकर रहेगी।

साथियो, वियतनाम की जनता ने, कम्बोडिया की जनता ने विजय प्राप्त की है अपना खून बहाकर, अश्रुतपूर्व बलिदान देकर, स्वतन्त्रता के लिये हर चीज का बलिदान करने को प्रस्तुत होकर। यह विजय खुली लड़ाई के जरिये आयी है।

यह दिखाती है कि तनाव कम करने के समझौते हो या न हो, अमरीकी साम्राज्यवाद अपना घातक उद्देश्य नहीं भूलता और संग्रामरत जनता जीत हासिल नहीं कर सकती अगर वह हथियार उठाकर दुश्मन को शिकस्त नहीं देती।

वियतनाम और कम्बोडिया की जनता की विजय अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग की, दुनिया की जनता विजय है। वियतनाम के संघर्ष को समाजवादी देशों द्वारा दी गयी मदद ने कम्बोडियाई जनता के संघर्ष को समाजवादी देशों द्वारा, खासकर चीन के लोक गणतन्त्र द्वारा दी गयी मदद ने अमरीकी अरबों की हार को आसान बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

दूसरे, सारी दुनिया के मजदूर वर्ग के राजनीतिक और नैतिक समर्थन ने और संयुक्त राज्य अमरीकी की जनतांत्रिक शक्तियों ने, जिन्होंने युद्ध के जारी रहने का विरोध किया, यह विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता की।

साथियो, हम नये पुर्तगाल के आविर्भाव को भी न भूलें जिसने हाल में फासिस्ट तानाशाही का टाट उलट दिया है और जनतांत्रिक राज स्थापित किया है। हमें विश्वास है कि परिस्थिति की पेचीदगियों पर जल्दी ही विजय प्राप्त कर ली जायेगी जो किसी भी संक्रमणशील शक्ति में अन्तर्निहित

होती हैं और पुर्तगाल की जनता जनतंत्र की रक्षा और प्रसार करते हुये दृढ़ता से आगे बढ़ेगी।

साथियो, हम अपना हार्दिक अभिनन्दन सोवियत संघ, लोकतंत्री चीन और अन्य समाजवादी देशों के मजदूर वर्ग और जनता के पास भेजते हैं। हम अपना अभिनन्दन संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, इटली, फ्रान्स और जापान के मजदूर वर्ग के पास भेजते हैं जो पूँजीवादी संकट के बोझों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं।

हम अपनी गहरी सम्वेदना और एकजुटता चिली और हिन्द एशिया के मजदूर वर्ग और जनता के साथ प्रकट करते हैं जो फासिज्म के शिकार हैं। हम एकजुटता का अपना अभिनन्दन इजराइली साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली अरब जनता के पास, फिलस्तीन की आजादी के साहसी मोर्चाओं के पास भेजते हैं।

पाकिस्तान और बंगला देश की परिस्थिति हम सबमें गहरी चिन्ता पैदा करेगी। हमारा गहरा सम्बन्ध अपने इन दोनों पड़ोसी देशों के मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक आन्दोलन से है। पाकिस्तान में अमरीकी साम्राज्यवाद फिर शासकवर्ग को हथियारों से लैस कर रहा है जिसका प्रत्यक्ष परिणाम उस देश के जनतांत्रिक आन्दोलन और बलुचिस्तान तथा सीमान्त प्रदेश के जनप्रिय आन्दोलन का दमन है। पाकिस्तान के मजदूर वर्ग का दमन किया जा रहा है। हम उसके साथ और जनतान्त्रिक आन्दोलन के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हैं। इन तीनों ही देशों के मजदूर वर्ग का सम्मिलित काम यह देखना है कि अमरीकी साम्राज्यवाद इस उपमहादेश के मामलों में हस्तक्षेप न करने पाये। यह देखना भी उनका काम है कि एशियाइयों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की उसकी नीति कारगर न होने पाये। पाकिस्तान को हथियार देने का मकसद अमरीकी नीति का दुमछल्ला बनने के लिये भारत पर दबाव डालना है। इससे आन्तरिक समस्या से ध्यान हटाने और जनतंत्र को दबाने में भी पाकिस्तान के फौजी जंगबाजों और भुट्टो को मदद मिलती है।

साथियो, बंगला देश की घटनाएं उतनी ही चिन्ताजनक हैं। मुजीबर रहमान द्वारा चलायी गयी एक पार्टी की व्यवस्था जनता की जनतांत्रिक अकांक्षाओं पर सीधा आक्रमण है और तानाशाही हुकूमत की बुनियाद डालती है। यह बंगला देश की जनता के साथ गद्दारी है। उसे जनतंत्र और समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नयी कठिनाइयों और मुसीबतों को पार

करना होगा। निस्संदेह प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने बंगला देश में सर उठाया है और चुनौती बन गयी हैं। इन साम्राज्यवाद परस्त शक्तियों को हराने के लिये जरूरत इस बात की थी कि जनता को सारी बात बतायी जाय और लड़ने के लिये गोलबन्द किया जाय। लेकिन नौकरशाहों और निहित स्वार्थों पर निर्भरता ने मुजीबर रहमान को जनतंत्र तथा जनता पर आक्रमण करने को बाध्य कर दिया है। यह अवश्यम्भावी था क्योंकि शासक पूंजीपति जनता की स्वाधीनता का दमन किये बगैर आर्थिक संकट से पैदा हुई समस्याओं को हल नहीं कर सकते।

तीनों देशों की घटनायें दिखती हैं कि-अविकसित देशों के पूँजीपति जमींदार वर्ग संसदीय जनतंत्र को, यहां तक कि प्रतिपक्ष की पार्टियों को नियमतः स्वतन्त्रता देकर जनतंत्र का दिखावा बनाये रखने में भी असमर्थ है। भारत की प्रक्रिया भी उसी दिशा में जा रही है और ताजुब की बात नहीं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तानाशाही ताकत अपने हाथ में लेने के लिये मुजीबुर रहमान को बधाई दी।

मजदूर वर्ग को इन घटनाओं को और साथ ही उपमहादेशों में संयुक्त राज्य अमरीका के बढ़ते हस्तक्षेप को याद रखना होगा। वे जनता के जनतंत्र तथा हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिये खतरनाक है। खासकर खतरे से भरा है डियेगो गार्सिया में अपने अड्डे बनाने और हिन्द महासागर को अमरीकी नियंत्रित क्षेत्र में बदल देने का संयुक्त राज्य अमरीका का निश्चय। यह और ईरान को भारी मात्रा में हथियारों की अबाध सप्लाई अमरीकी इरादों को साफ बतलाती है। अगर मजदूर वर्ग जनता को इस खतरे से आग्रह नहीं करता और इससे नहीं लड़ता तो वह अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहेगा।

हाल ही में जो बातें जाहिर हुई हैं वे बताती हैं कि किस तरह अमरीकी जासूस एजेन्सी सी० आई० ए० हत्यायें करवाती है, जनताश्त्रिक सरकारों को उलटने के लिये गद्दारों को इस्तेमाल करती है और देशों को गुलाम बनाती है। हमारे देश में इस एजेन्सी के कारनामे अबाध रूप से चल रहे हैं इन्दिरा गांधी की सरकार सिर्फ राजनीतिक सुविधा के लिये सी० आई० ए० का नाम लेती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सच्चा कदम नहीं उठाती।

साथियो, यह प्रश्न करना प्रासंगिक है कि हमारी यूनियनें कितनी दूर तक इस खतरे से सचेत है और कितनी दूर तक वे मजदूरों को इसके खिलाफ जमाकर

रही हैं। हम अमरीकी साम्राज्यवाद को सारी जनता का, दुनिया के मजदूर वर्ग का आम दुश्मन समझते हैं। आज जबकि हमारा देश आर्थिक संकट में फंसा है, जबकि सरकार की जमींदार परस्त नीति के चलते हमें विदेश से पी० एल० ४८० के अन्तर्गत खाद्य का आयात करना पड़ता है, अमरीकी षड़यंत्रों और दबावों का खतरा बहुत बढ़ा है। अगर हमारी यूनियनें और मजदूर वर्ग इसके खिलाफ देश को जगाने में पहल नहीं करता तो फिर कौन करेगा ? जिस भी देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई कामयाबी के साथ लड़ी जा रही है, वहां ही मजदूर वर्ग ने इसका नेतृत्व किया है।

हमारे देश में बहुत से केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन इस बढ़ते खतरे से आँख मूँद लेते हैं। ए. आई. टी. यू. सी. के नेता, जिन पर दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियां हावी हैं तनाव कम करने के समझौते का गुणगान करते हैं और हमें आश्वासन दिलाते हैं कि शान्तिपूर्ण संबंधों का नया युग आरम्भ हो गया है। ऐसी हालत में हमारी कोई भी ढील बहुत ही शोचनीय और अपराधपूर्ण असफलता होगी।

साथियो, हमारे सामने उपस्थित आर्थिक और ट्रेड यूनियन परिस्थिति पर विचार करने के पहले मैं आपका ध्यान खतरनाक राजनीतिक परिस्थिति की तरफ आकर्षित करूँगा। किसी न किसी बहाने संकट काल का जारी रखना (नया बहाना है पाकिस्तान को हथियारों से लैस किया जाना और डियेगो गार्सिया में अमरीकी गतिविधियां) जन आन्दोलनों के खिलाफ डी आई आर और मिसा का इस्तेमाल, संविधान के अन्तर्गत प्राप्त क्षमताओं का बेशर्म दुरुपयोग, सशस्त्र गुण्डा गिरोहों का ट्रेड यूनियन और जनतांत्रिक आन्दोलनों के खिलाफ इस्तेमाल और प० बंगाल में गत विधान सभा के चुनाव में सोलहो आने रिगिंग (जालसाजी) सब साफ दिखाते हैं कि शासक पार्टी भारत में एक पार्टी की तानाशाही कायम करने पर तुली है। यह कोई आकस्मिक घटना की बात न थी कि इन्दिरा गांधी ने मुजीबुररहमान को तानाशाही क्षमता ग्रहण करने के वक्त बधाई भेजी थी।

हमारी सी आई टी यू ने यह खतरा पहले ही देखा था, लेकिन बहुत से दूसरे केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन और राजनीतिक पार्टियां कुछ दिन पहले तक इस खतरे को देखने में नाकाम रहीं। गुजरात आन्दोलन के खिलाफ चलाये निर्मम दमन चक्र, श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में चलाने वाले बिहार आन्दोलन के खिलाफ दमन और हाल के कुछ उप चुनावों में रिगिंग तथा आतंक से कितनी

ही पार्टियां एक पार्टी की तानाशाही का खतरा अनुभव करने लगी हैं।

इस खतरे की छाया मौजूद है जैसा कि बाद में ट्रेड यूनियन आन्दोलन के सिलसिले में बताया गया है, अगर मजदूर वर्ग इस खतरे से लड़ने में पहल नहीं करता, अगर वह दूसरे सब हिस्सों को इसके लिये गोलबन्द नहीं करता, तो इस खतरे का सामना नहीं किया जा सकता। सब देशों का अनुभव सिखाता है कि जनतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती अगर मजदूर वर्ग इस संघर्ष का नेतृत्व नहीं करता। और अगर यह नहीं किया जाता तो शोषण को खत्म करने और राजसत्ता हाथ में लेने तथा समाजवाद लाने की कोई भी आशा नहीं। मजदूर वर्ग गुलाम ही बना रहेगा अगर वह अपने देश में एक पार्टी की तानाशाही की बढ़ाव के खिलाफ लड़ाई के मैदान में नहीं उतरता। हमारी सी आई टी यू यूनियनों को आर्थिक मांगों के लिये खाद्य के लिये और चढ़ी कीमतों के खिलाफ, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ लड़ते हुये कांग्रेस राज्य के खिलाफ सब जनतांत्रिक तत्वों और ताकतों को गोलबन्द करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिये। इन ताकतों में सबसे महत्वपूर्ण हैं किसान और खेत मजदूर। हमारी यूनियनों को कांग्रेस राज के भयंकर आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सब बामपंथी और जनतांत्रिक पार्टियों और शक्तियों को एकजुट करने के लिये अथक प्रयत्न करना होगा। संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन अगर इस काम की उपेक्षा करता है तो यह उसके लिये बड़ा खतरनाक होगा। वह स्वयं सुरक्षाहीन हो जायगा अगर उसका समर्थन उसके शक्तिशाली मित्र, किसान और खेत मजदूर नहीं करते।

साथियो वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में ट्रेड यूनियनों को आम जनता के हितों के योद्धा के रूप में सामने आना है। राशनिंग व्यवस्था के टूटने, खाद्य के अभाव और चढ़ी कीमतों का असर सब हिस्सों पर पड़ता है और इन सबकी वजह से मजदूर वर्ग उनके लिये लड़ सकता है। हमारे संग्राम एक ही छाते के नीचे जनता के विभिन्न हिस्सों को मजदूरों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों खेत मजदूरों आदि को ला देते हैं। साथियो, इसी तरह अगर हम किसानों की मांगों के लिये, जमीन जोतने वाले को देने के लिये लड़ते हैं तो उससे दूसरे हिस्से अवश्य ही आकर्षित होंगे, क्योंकि जल्दी ही हर आदमी यह समझ लेगा कि जमीन्दारी के लोप और जोतने वाले को जमीन देने से कल कारखानों के माल के लिये बाजार बड़ा हो जायेगा और संकट का सामना करने का कारगर हथियार बन जायगा। और हमारी यह मांग कि मौजूदा बदतर आर्थिक हालत

में विदेशी इजारेदारियों के उद्योगों को जब्त कर लिया जाना चाहिये, राष्ट्रीय मुक्ति के कदम के तौर पर अवश्य ही स्वीकार कर ली जायगी।

साथियो वर्तमान सवालों पर शक्ति केन्द्रित करने के साथ ही साथ हम अवश्य ही अपने बुनियादी लक्ष्य-समाजवाद के प्रति, पूंजीवादी ज़मीन्दारी व्यवस्था की समाप्ति के प्रति अपनी लगन वफादारी जाहिर करनी चाहिये। हम वर्तमान जनतंत्र को सम्प्रसारित कर उसे जनता को जनतंत्र बना देना चाहते हैं। हम राज्यसत्ता के लिए सघर्ष करते हैं, हम शोषण की समाप्ति के लिए, और समाजबाद लाने के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए समाजबाद तब तक नहीं जब तक मजदूर वर्ग और उसके मित्रों का कब्जा राज्यसत्ता पर नहीं होता और जब तक उत्पादन, वितरण तथा विनिमय के सब साधनों का समाजीकरण नहीं होता, उत्पादन के साधनों में व्यक्तिगत सम्पत्ति का लोप नहीं होता। इसके बिना हमारी गरीबी और शोषण का खात्मा नहीं हो सकया। अगर हम अपने प्रेरणादायक लक्ष्य को भूल जाते हैं तो हमारे सारे दुख-कष्ट, जेल और यंत्रणा शहादत बेकार हो जायेगी।

साथियो, हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति अग्रसर देशों की संकट की परिस्थिति के प्रायः समानान्तर चलती है, उसमें प्रायः वही लक्षण और पहलू देखे जाते हैं।

पिछले तीन साल के दौरान और खास कर गत वर्ष के दौरान, मजदूर वर्ग को बार-बार आर्थिक आक्रमणों और उनके साथ-साथ दमन तथा अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। ट्रेड यूनियन अधिकारों पर आक्रमण, वेतन जाम कानून लेआफ और कारखानों की बन्दी सभी संकट का बोझ मजदूर वर्ग के कधों पर डाल देने के हथियार थे।

इस लड़ाई के दौरान अभूतपूर्व एकता कायम हुई, एकजुट प्रतिरोध की नयी मंजिलें तय की गयी। साथ ही हम एक वर्गों द्वारा आरम्भ किये गये आर्थिक और सैद्धान्तिक आक्रमण के पूरे चरित्र को समझने में कुछ खामियों के कारण संगठन में कुछ त्रुटियां रह गयी थी। यह न समझा गया था कि यह आक्रमण शोषण वर्ग का पूर्ण वर्गीय आक्रमण है, और संघर्ष के दौरान हर एक घटना और कदम कांग्रेस सरकार की मुख्य वर्गीय नीतियों के खिलाफ एक लड़ाई है। हर सवाल पर तब लड़ा गया जब वह उठा, लेकिन यह बात पूरी तरह समझ में न आयी थी कि हमने बुनियादी नीतियों से लड़ने के दौर में प्रवेश किया है। कुछ हद तक इसी के कारण सुधारवादी और संशोधनवादी नेता अक्सर भ्रम पैदा

कर पाते हैं, सरकारी नीतियों की आलोचना का विरोध करते हैं, इन्दिरा सरकार की पैरवी करते हैं और दोष सिर्फ नौकरशाही के मत्थे मढ़ते हैं।

## संकट की विशिष्टताएं

हमने विश्व पूंजीवादी संकट की जो विशिष्टताएं देखी हैं, वही विशिष्टताएं भारत में भी पायी जाती हैं। मूल्यों की लगातार वृद्धि के साथ मुद्रा स्फीति की हालत मापी जाती है। बेरोजगारी तेजी से बढ़कर दैत्य का रूप धारण कर रही है। उद्योगों में क्षमता से कम उत्पादन पुराना मर्ज बन गया है। उत्पादन में ठहराव या गिरावट देखी जाती है। मज़दूर वर्ग की मजूरी और सब श्रमजीवियों की आय पर लगातार हमले किये जा रहे हैं जबकि पूंजी और धन का संकेन्द्रण राजकीय नीतियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से बढ़ता है। एक अन्तर भी है। खेतिहर जनगण सामन्ती सम्बन्धों और पूंजीवादी बाजार के दहोरे जुएं के नीचे दब कर बिल्कुल तबाह हो गये हैं।

स्थिर उत्पादन और मूल्य वृद्धि के बीच कभी कभास थोड़े समय के लिये कुछ तेजी गति–यही अब कुछ वर्षों से हमारे देश के पूंजीवादी रास्ते का जारी पहलू है।

इनके बड़ा ही विनाशकारी असर हमारे जीवन मान पर, नौकरी की सुरक्षा पर पड़ रहा है। इन सबका अन्त दीख नहीं पड़ा। आर्थिक हालत संकेत करता है कि निकट भविष्य में और भी बड़े हमले होंगे, और भी बड़ी मुसीबतें आयंगी, वेतन जाम से लेकर बजट के प्रस्ताओं तक, ऋण संकोचन से लेकर टैक्सों तक सरकार के हर कदम का मकसद मजदूर वर्ग और जनता पर संकट का बोझ लादना है। शोषकों के चोटी के हिस्सों और जमींदारों समेत धनी मालिकों को छोड़कर इससे कोई नहीं बच पाता। मज़दूरों, कर्मचारियों, वकीलों, डाक्टरों, इंजीनियरों, किसानों और खेत मजदूरों, दूकानदारों और छोटे उत्पादकों तथा छोटे कारखानेदारों-सभी को समान रूप से नये बोझ अपने उपर लादने को बाध्य किया जाता है ताकि इजारेदारियां और बड़े पूँजीपति नये नये मुनाफे बटोर सकें।

संगठित ट्रेड यूनियन आन्दोलन यह नहीं समझ रहा है कि मजदूरों की नौकरियों पर हमले किस तरह किये गये हैं। किसी न किसी बहाने लाखों मजदूरों को ले आफ कर दिया गया है या कारखाने बन्द कर घर भेज दिया

गया है। और यह इसलिये हुआ है कि चढ़ी कीमतों ने मांग पर असर डाला है; साथ ही कीमतें घट नहीं रही हैं।

जबकि इंदिरा गांधी देश को आश्वासन दे रही हैं कि मन्दी के रूझान नहीं, हजारों मजदूरों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ रहा है इसलिये कि मांग की मन्दी है। गत नवम्बर से संगठित कपड़ा उद्योग और पावरलूम तथा हैंडलूम उद्योग अस्थायी बन्दी या ले आफ के दौर से गुजर रहे हैं। संगठित उद्योगों की वास्तविक हालत बिल्कुल बेनकाब हो जाती अगर बिजली के कटौती ने कुछ केन्द्रों में उनकी मदद न की होती। अन्यथा, मालिकों ने माल की मांग की कमी के कारण आम ले आफ का सहारा लिया होता।

अक्टूबर में अहमदाबाद की मिलों ने अपनी रात की शिफ्ट बन्द कर दी और ५,००० मजदूरों को निकाल दिया। प्राय: उसी समय मद्रास की बकिंघम कर्नाटक मिल ने अपना उत्पादन २५ प्रतिशत कम कर देने की घोषणा की। अहमदाबाद में शिफ्ट की बन्दी दो महीने तक चली अर्थात् तब तक जब तक जमा स्टाक खत्म नहीं हो गया। इसे खत्म करने के लिये कीमतें २५ से ४० प्रतिशत कम की गयी थी।

यह याद रखना चाहिये कि सरकार ने मिल मालिकों को कपड़े की कीमत ४० प्रतिशत बढ़ाने का शोषित सिर्फ कुछ महीने पहले दी थी जबकि उसने मजदूरों और कर्मचारियों की मजदूरी पर हमला किया।

पश्चिम बंगाल के समाचारपत्रों ने ५ नवम्बर को खबर छापी कि ले आफ और छंटाई राज्य के संगठित और असंगठित दोनों ही किस्म के उद्योगों में खासकर कपड़ा मिलों में आरंभ हो गयी है। इस उद्योग के बहुत से मजदूर बेरोजगार बना दिये गये हैं।

नदिया और दूसरे जिलों में जहां पावरलूम उद्योग केन्द्रित है, पावरलूम के कितने ही कारखानों में तालाबन्दी कर दी गयी या वे बन्द हो गये। इससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये। ऋण पर प्रतिबन्धों से नुकसान छोटे उत्पादकों का हुआ करता है। इनसे अपने पास माल का बड़ा स्टाक रखने और साथ ही उत्पादन ज़ारी रखने की क्षमता कम हो गयी है। उसी महीने में इचल करजनी में, जो कि महाराष्ट्र में तांत के कपड़ों बनाने का केन्द्र है, ५,०००० पावरलूम मजदूरों में से ४५ प्रतिशत ले आफ कर दिये गये। तांत के कपड़ों का उत्पादन, जो उद्योग में संकट के बाद पहले हो ४० प्रतिशत कम कर दिया गया था, कीमत में लगातार गिरावट और

कम बिक्री की वजह से १० प्रतिशत और कम कर दिया गया।

नवम्बर में कितने केन्द्रों से खबर आयी कि तांत के कपड़ों का स्टाक बहुत जमा हो गया है। केरल में सैकड़ों हैण्डलूम मजदूर बेरोजगार कर दिये गये। मार्च में खबर आयी कि आन्ध्र में १७ करोड़ रुपये की कीमत का तांत के कपड़ों का स्टाक जमा हो गया है। पावरलूमों में संकट जारी है। भिवाडी बम्बई के नजदीक पावरलूम का सबसे बड़ा केन्द्र है। अप्रैल में यहां के पावरलूमों के मालिक अपना माल बेच न पा रहे थे, यद्यपि उनके कारखानों में तीन शिफ्टों की जगह सिर्फ एक शिफ्ट में काम हो रहा था। वे सभी शिफ्टों को तब तक के लिये बन्द कर देने की बात सोच रहे थे जब तक स्टाक साफ नहीं हो जाता। इसके माने है कि हजारों मजदूरों की बेरोजगारी।

जबकि कीमतें बहुत चढ़ गयी हैं, देश में अकाल और बेहद गरीबी फैली हुई है, वैसी हालत में कोई ताजुब नहीं कि शहरों और गांवों के जनगण काफी कपड़ा नहीं खरीद पा रहे हैं। जबकि भारत के तीन चौथाई लोग नंगे हैं, कपड़े खरीदने की बात अजीबों गरीब लग सकती है।

"कीमतें गिराने के लिये" सरकार द्वारा रेलवे बैगनों की खरीद के खर्च में कटौती का असर सैकड़ों लोगों की नौकरी पर पड़ेगा। अब आशंका की जा रही है कि रेलवे बैगनों की खरीद में कमी का परिणाम यह होगा कि छोटे-छोटे कारखाने बन्द हो जायेंगे और बड़े कारखानों का उत्पादन उनकी क्षमता का २५ प्रतिशत कम हो जायेगा। इसका नतीजा बैगन बनाने वाले कारखानों में बड़े पैमाने पर ले आफ होगा।

प० बंगाल में सरकार के नये उत्पादन करके प्रभाव का असर ५०,००० बीड़ी मजदूरों पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के ५०,००० ठठेरों पर असर संयुक्त राज्य अमरीका को निर्मात की मन्दी का पड़ा है। छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं और अधिकांश मजदूर रिक्शा चलाने लगे हैं। इनमें उन हजारों मजदूरों को जोड़ दीजिये जिन्हें बिजली की कमी के कारण ले आफ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और प० बंगाल में हजारों मजदूरों को बिजली की राशनिंग की वजह से अपनी मजूरी से हाथ धोना पड़ा है। बिजली की कमी किन्हीं प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि ज्यादातर नौकरशाही के भ्रष्टाचार रख-रखाव में नाकामयाबी वगैरह की वजह से है। भ्रष्टाचार पूँजीवादी नौकरशाही व्यवस्था का विभिन्न अंग है।

हालत बिगड़ती जा रही है और मार्च के अन्त तक प० बंगाल में औसतन

१० ००० मजदूर प्रतिदिन के हिसाब से ले-आफ देखा जा रहा था। बहुत से कारखानों ने वर्तमान कानून के अन्तर्गत सरकार को सूचित कर दिया है कि उन्हें भारी छंटाई करनी होगी।

दूसरे कारखानों की अपेक्षा इन्जीनियरिंग और कपड़े के कारखानों की हालत ज्यादा खराब है। खबर है कि हिन्दमोटर ५,००० मजदूरों की छंटाई की योजना बना रहा है जबकि वह रोज बारी बारी से ३-४ हजार मजदूरों को ले आफ करता रहा है। इसका असर सहायक कारखानों पर पड़ सकता है। इनमें से बहुतों ने लम्बे ले आफ का सहारा पहले ही से ले रखा है।

कपड़ा मिलों में भी बाजार में कपड़े की मांग की कमी के कारण ऐसा ही हालत मौजूद है।

वेतनजाम ने अपना करिश्मा दिखाया है। उसके कीमतें नहीं गिरायीं, पर मजदूरों को कपड़ा जैसी जरूरत की चीजों को खरीदने में असमर्थ जरूर बना दिया है। उसने संकट और मन्दी को बढ़ा दिया है।

साथियो, अप्रैल के महीने में संकट और भी गहरा हुआ है और अब लगता है कि हमारे सामने ऐसी बड़ी मन्दी आ खड़ी हुई है जैसे १९३० के संकट के बाद कभी भी न आयी थी। लगता है कि कारखाने एक तरफ से बन्द हो जायेगें और छटाई एक तरफ से की जायगी। कीमतों में यकायक गिरावट के कारण किसानी करने वाले लोग बरबाद हो जायेगें। हालत और भी बदतर बिजली की कमी अथवा बिजली के अकाल के कारण हो रहा। बिजली का यह अभाव या अकाल पूँजीवादी नौकरशाही योजना और घोटाले का प्रत्यक्ष परिणाम है, लेकिन मजदूर, छोटे छोटे मालिक और छोटे उत्पादनकर्त्ता उसके मुख्य शिकार हैं।

अप्रेल तक कानपुर में हजारों कपड़ा मजदूर बिजली की कमी के कारण ले आफ कर दिये गये। लेकिन समाचार पत्रों ने बताया कि मिलों की मांग के अनुसार दोनों शिफ्टों को बिजली ज्यादा दी जाने लगे, तो भी उम्मीद यही की जाती है कि उत्तर प्रदेश की ज्यादा कपड़ा मिलें बीमार पड़ जायंगी। आशंका प्रकट गयी है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों की २७ संगठित कपड़ा मिलों में से १ कपड़ा मिलें बीमार पड़ जायंगी अगर बारीक और मझारी कपड़ों की मांग नहीं बढ़ती। उनके लिये एक शिफ्ट चलाना भी मुश्किल है और अधिकांश का देना बहुत ज्यादा बाकी पड़ गया है।

लोगों की क्रय क्षमता में भारी कमी के कारण जूतों और चमड़े के दूसरे

माल की, विद्यार्थियों के लिये कापियों की और आम खपत की दूसरी वस्तुओं की बिक्री तेजी से गिरी है।

इस संकट का असर किस पर पड़ रहा है, इसके बारे में अगर अब भी कुछ सन्देह हो तो वह इस बात से हट जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में बीड़ी की बिक्री २० प्रतिशत कम हो गयी है। दैनिक मजदूरी ५ रू० से घटकर ३.५० रू० हो गयी है, छोटी नौकरियों के लिये और भी लाखों लोग दरखास्त दे रहे हैं और सैकड़ों परिवार पक्के घर छोड़कर कच्ची दीवारों की झोपड़ियों में जा रहे हैं।

संवाददाता ने आगे लिखा : "मिल के कपड़े की मांग में भारी गिरावट हैण्डलूम और पावरलूम के क्षेत्र में और यहां तक कि खादी के क्षेत्र में भी फैल गयी है जिसका परिणाम वर्षों के लिये मांग बहुत कम पड़ गयी है।"

तमिलनाडु में बिजली की सप्लाई प्रायः बन्द हो जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो गया है और १५ लाख मजदूर ले आफ कर दिये गये हैं। बिजली के कमी के कारण कारखानों की बन्दी बहुत जगह मांग की कमी के कारण कारखानों की बन्दी पर परदा डाल देती है।

बम्बई में हजारों रेशम मिल मजदूरों पर बेरोजगारी का खतरा आ गया है।

पाट उद्योग में, चटकलों ने १५ प्रतिशत उत्पादन कम करना आरम्भ किया है। यह आम नियम बन सकता है। जिससे मजदूरों की छंटाई बड़ी संख्या में हो सकती है। निर्यात के आर्डरों के अभाव में बहुत सी चटकलों के बन्द हो जाने की सम्भावना है। नतीजा यह हुआ है कि ६-७ साल पहले कारपेट बैकिंग के उत्पादन के लिये बैठायी गयी अनुमानतः १०० करोड़ रुपये की लागत की मशीनें प्रायः बन्द हो गयी हैं।

साथियो, यह सचमुच गम्भीर परिस्थिति है। भारत के मजदूर वर्ग ने वर्षों से ऐसी हालत का मुकाबला नहीं किया था। हम सबको जानना चाहिये कि तेजी से बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़ों के संदर्भ में इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य इस तथ्य के सन्दर्भ में क्या है कि व्यक्तिगत संगठित अकृषिजातीय उद्योगों में रोजगारी १९७३ की तुलना में १९७४ में तेजी के साथ घटी है। मालिक और सरकार दोनों ही इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मालिक जनता को नुकसान पहुंचा कर सरकार से वित्तीय सुविधायें पाने के लिये कारखानों को एकदम बंद कर देने

बातें अक्सर किया करते हैं। वे पाट के माल पर निर्यात शुल्क एकदम समाप्त कर देने की या मजदूरों को नुकसान पहुंचाकर छंटाई, तलब में कटौती आदि की मांग करते हैं। सरकारी प्रवक्ता खासकर प० बंगाल में पंच परमेश्वर का पाट अदा करने का मांग करते हैं। चटकलों के एकदम बन्द हो जाने के डर का इस्तेमाल कर वे मजदूरों से छंटाई या बारी बारी से काम करने को अर्थात् बेरोजगारी के वितरण को स्वीकार कर लेने को कहते हैं। ये किसी भी पूँजीवादी सरकार की, जिसे अभी तक बेरोजगारी की मजूरी की जिम्मेदारी लेने को बाध्य नहीं किया जा सका, आम चालबाजियां हैं। मजदूर वर्ग को कांग्रेसी श्रम मंत्री के झूठे प्रस्तावों का शिकार नहीं होना चाहिये।

खबर है कि हाल में प० बंगाल के श्रम विभाग ने चटकलों की परिस्थिति पर विचार करने के लिये ट्रेड यूनियनों की बैठक बुलायी थी। इसमें सरकारी प्रवक्ता ने अधिक उत्पादन, अतिरिक्त मजूरी के बिना रात की शिफ्ट चलाने, अतिरिक्त मजूरी के बिना सातों दिन काम करने के सुझाव रखे। उसका फार-मूला था कम वेतन, ज्यादा काम प्रवक्ता से पूछा गया कि आप ज्यादा उत्पादन की बात ऐसी हालत में क्यों करते हैं जबकि विदेशी आर्डर कम हैं और माल जमा हो गया है। तब उसने बताया कि ज्यादा उत्पादन और कम वेतन से उत्पादन का व्यय कम हो जायगा। इससे मालिक अपना माल विदेशी बाजार में बेंच सकेंगे। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। पूँजीपति मजदूरों को नुकसान पहुंचाकर अपने ऊँचे मुनाफे की गारंटी चाहते हैं। विदेश में प्रतियोगिता में पाट का माल टिक सके इसके लिये वे अपना मुनाफा कम करने को तैयार नहीं।

## हालत के और भी बिगड़ने की सम्भावना

अक्तूबर में आइरन स्टील कन्ट्रोलर ने शिकायत की कि हम माल दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह ले नहीं जाया जाता। शीघ्र ही विज्ञापन छापा गया कि माल ले जाया गया है और हर बात ठीक ठाक है। लगता यह है कि सारा स्टाक विभिन्न स्टाक यार्डों के पास भेज दिया गया है। जनवरी में समाचार छपा था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दिल्ली के स्टाक यार्ड में ३०,००० टन के लगभग स्टाक था। स्वाभाविक हालत में वहां जितना स्टाक रहता है, यह उसका दूना था। इसी तरह दिल्ली स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज

कारपोरेशन के पास ४,००० टन इस्पात का स्टाक था। यह भी उसके स्वाभाविक स्टाक से कहीं ज्यादा था। ऐसी ही हाल कई शहरों में थी।

जबकि सरकार विज्ञापन छाप रही थी कि मांग में कोई कमी नहीं, बोकारों के इस्पात के कारखाने ने माल के बहुत ज्यादा जमा हो जाने के कारण पिक आइरन और स्टील इनगाट का उत्पादन घटा देने का फैसला किया। सरकारी तौर पर बताया गया कि माल के जमा हो जाने का कारण रेलवे की कमी है।

फरवरी के अन्त में प्रेस रिर्पोटों ने दिखाया कि वैगन उद्योग के पास २५,००० वैगन हैं यानी लगभग दो वर्ष का उत्पादन उसके हाथ में है। इसके साथ ही वैगनों के लिये रेलवे का खर्च बहुत कम कर दिया गया है। इनसे आशंका की जाती है कि छोटे कारखाने बन्द हो जायेंगे और बड़े कारखानों का उत्पादन २५ प्रतिशत घट जायगा। चित्तरंजन कारखाने की २० प्रतिशत क्षमता निष्क्रय पड़ी है।

मार्च के अन्त में उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार समिति में भाषण देते हुये उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पटेल ने कहा था कि हाल के अध्ययन ने दिखाया है कि केवल दस ही उद्योगों में ७० प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन क्षमता को इस्तेमाल किया जा रहा था, और केवल १२ उद्योगों में ५० प्रतिशत और ७० प्रतिशत के बीच उत्पादन क्षमता काम में लायी जा रही थी।

ऐसी है आर्थिक परिस्थिति। मन्दी की हवा हमारे कामकाज और जीवन-मान पर और भी आक्रमणों का संकेत करती है।

कभी निकट भविष्य में हालत में सुधार की कोई आशा है? मौजूदा सुझाव और तथ्य इस आधार पर पानी फेर देते हैं। इंदिरा गांधी के उल्टे आश्वासनों के बावजूद ठहराव और मन्दी के सुझाव जारी रहेंगे और उत्पादन में गिरावट तेजी से बढ़ सकती है।

लगता है कि खुद सरकार को उन बातों में विश्वास नहीं जिनका वह प्रचार करती है, उसे स्वीकार करना पड़ा है कि ज्यादा से ज़्यादा अच्छा यही हो सकता है कि हालत में ठहराव बना रहेगा। १९७४-७५ के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है : "अब तक इस बात का कोई प्रभाव नहीं कि १९६६ से औद्योगिक उत्पादन का जो अत्यन्त असन्तोषजनक रूझान आरंभ हुआ है, उसका स्थान कोई नया ज्यादा गतिमान दौर लेगा।"

# निर्यात और विश्व पूंजीवादी संकट

साथियो, इन सब वर्षों हमारे आन्दोलन ने अपने को अधिकांशतः मजदूरों के प्रश्नों और हम पर सीधा असर डालने वाले अन्य प्रश्नों तक ही सीमित रखा है। हम इनसे आगे नहीं गये और न यह समझने की कोशिश की कि किस तरह निर्यात-आयात के बारे में सरकार की नीतियां हमारे कामकाज और वेतन पर असर डालती हैं और किस प्रकार सरकार अपनी निर्यात नीति को पूँजीपति वर्ग के स्वार्थ में चलाती है तथा उसे राष्ट्रीय स्वार्थों की रक्षा बताती है।

जब विदेशी बाजार में तेजी रहती है, पूंजीपतियों को खूब मुनाफा बटोरने का मौका दिया जाता है। अवश्य ही उन्हें मजदूर वर्ग की हालत सुधारने के लिये किसी भी तरह बाध्य नहीं किया जाता। जब विदेशी बाजार डॉवाडोल होता है तो करदाताओं से वसूल किया गया पैसा पूंजीपतियों को निर्यात के लिये क्षतिपूर्ण के तौर पर दिया जाता है और उन्हें मजदूरों के जीवनमान पर आक्रमण करने का बहाना दिया जाता है। यह सब किया जाता है विदेशी मुद्रा कमाने की राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने के नाम पर।

पश्चिमी दुनिया की चढ़ी कीमतों की हालतों ने भारत का निर्यात उस वक्त खूब बढ़ाया जबकि उत्पादन की गिरावट का रूझान देखा जा रहा था। चूंकि अब पश्चिमी दुनिया मंदी के दलदल में बुरी तरह धंस रही है और भारतीय निर्यात की मांग में भारी कटौती होने जा रही है, भारतीय अर्थतंत्र को बड़े उलट-फेर का सामना करना होगा।

अब ये हालतें तेजी के साथ मिट रही हैं। वित्त मंत्रालय इन निर्यातों में से कुछ को क्षतिपूर्ति देने की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसे आशा है कि उनका निर्यात १९७५-७६ में कम होगा। सम्भावना है कि पाट, सूती कपड़ों और कई अन्य मालों को कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और उनका निर्यात कम होगा। आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि "अवश्य ही इस सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता कि औद्योगिक देशों की बड़ी मन्दी का कुछ नुकसानदेह असर हमारे निर्यात की वृद्धि पर और इसलिये औद्योगिक उत्पादन पर पड़ सकता है ओ. ई. सी. डी. ने भविष्यवाणी की है कि लगातार दूसरे साल भी बड़े औद्योगिक देशों में १९७५ में कोई खास वृद्धि न होगी।"

इसके माने है कि निर्यात बढ़ाने के लिये बड़ी कोशिश की जायेगी और

विश्व बाजार में निर्यात को प्रतियोगिता के योग्य बनाने के लिये आवाज भी उठायी जा चुकी है जिसके माने हैं कि मजदूर वर्ग की मजदूरी और आय में ज्यादा से ज्यादा मुमकिन कटौती की जायेगी या आधुनिक भारी मशीनें लाकर तथा अन्य उपायों से रोजगार में लगे मजदूरों की संख्या घटायी जायेगी।

ट्रेड यूनियन को जोर देना होगा कि पूंजीपतियों को खुश करना बन्द किया जाय। उन्हें अपना मुनाफा कम करने को और अगर जरूरत हो तो निर्यात की क्षति पूर्ति के लिये हाल में बटोरे गये बड़े मुनाफे का कुछ हिस्सा उगलने के लिये बाध्य करना होगा।

मजदूर वर्ग को यह भी समझना होगा कि संकटग्रस्त पश्चिमी दुनिया के साथ हमारे अर्थतन्त्र को बांध रखने की कांग्रेस सरकार की नीति उसके स्वार्थ के लिये खतरनाक है। मांग उठानी होगी कि हमारे ज्यादा मजबूत व्यापारिक सम्बन्ध समाजवादी अर्थतंत्रों के साथ होने चाहिये जिनमें लोकतंत्रवादी चीन का अर्थतंत्र भी शामिल है। संकट से स्वतंत्र समाजवादी दुनिया के स्थायी अर्थतन्त्र सुनिश्चित और विकासमान बाजार देते हैं। निर्यात पर यह निर्भरता पच्छिमी देशों पर हमारे अर्थतंत्र की निर्भरता प्रकट करती है। हमें आयात और विदेशी पावने के भुगतान के लिये जिन्दगी की जरूरत की चीजों के निर्यात करने को बाध्य होना पड़ता है।

## सार्वजनिक क्षेत्र में लगी रकम

साथियो, यह महसूस नहीं किया जाता कि मुद्रास्फीति रोकने के लिये सरकार ने जानबूझ कर जो कदम उठाये हैं, उनका परिणाम रोजगार की धीमी वृद्धि और बढ़ी बेरोजगारी से हुआ है। अर्द्धविकसित देश में रोजगार में वृद्धि की दर बहुत हद तक सरकार की बढ़ी सुनियोजित लगी रकम पर निर्भर करता है। मजदूर वर्ग और जनतांत्रिक मत ने बार-बार मांग की है कि सरकार को फिजूल के खर्च और घाटे की अर्थ व्यवस्था बन्द करनी चाहिये और कीमतों पर किसी किस्म की रोक लगानी चाहिये। लेकिन साथ ही उन्होंने मांग की है कि इजारेदारों और बड़े पूंजीपतियों तथा जमीन्दारों पर उचित टैक्सों के जरिये उत्पादन का कार्य बढ़ाना चाहिये एवं बढ़ते हुए उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिक को और भी सम्प्रसारित करना चाहिये।

इन क्षेत्रों के साधनों को अच्छा करने और सार्वजनिक लाभ में उन्हें लगाने

से मुद्रास्फीति रुक जाती और रोजगार तथा उत्पादन बढ़ता। इन वर्गों को नाराज न करने की इच्छा से सरकार ने मुद्रास्फीति से लड़ने के नाम पर खुद अपनी लागत बेहद कम कर दी।

देश की पूंजीगत लागतें और अन्य लगी रकमें १९६५-६६ की कीमतें के आधार पर सिर्फ ८५९ करोड़ रुपये थीं, जबकि १९७२-७३ में १४०४ करोड़ रुपये थीं। नतीजा यह हुआ है कि सरकार के विभागीय व्यय पर सीधे निर्भर करने वाले उद्योग वैगन वगैरह कम खरीद की वजह से अपंग हो गये हैं। विभिन्न परियोजनाओं के पूरा करने में सहायता देने वाले उद्योगों, उनसे सम्बन्धित व्यक्तिगत उद्योगों पर भी असर पड़ा है। यह कितने ही ले आफों का आंशिक कारण है।

१९७५–७६ का बजट हालत में कोई सुधार नहीं करता। १९७५-७६ में कुल (केन्द्र और राज्यों की) योजना में ५०६० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगें। यह रकम वित्तीय शब्दावली में १९७४-७५ की योजना के ४८४४ करोड़ रुपये से २३ प्रतिशत ज्यादा है। अन्तर हम देखते हैं कि कीमतें गत साल से २५ प्रतिशत से ज्यादा चढ़ गयी हैं, तो बढ़ा खर्च गत वर्ष से ज्यादा नहीं जबकि सार्वजनिक लगी रकम हाल के वर्षों में सबसे कम थी।

रोजगारी और बेरोजगार से सम्बन्धित मामलों पर फैसले इसी तरह बजट में रकम निर्धारित कर मजदूरों की पीठ पीछे किये जाते हैं। समय आ गया है कि मजदूर वर्ग प्रतिवाद की आवाज बुलन्द करे और ट्रेड यूनियनें धोखेबाजी और ठगी की इस कहानी को खोलकर मजदूरों के सामने रख दें। वह समय आ गया है जबकि सब विदेशी और इजारेदार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की, तथा सुनियोजित सार्वजनिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये उनके साधनों के इस्तेमाल की मांग की जानी चाहिये। अवश्य ही यह सत्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र से कोई लाभ न होगा और उसमें भ्रष्ट नौकरशाह और मंत्रियों के चमचे खुल कर खेलते रहते हैं। ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि जिससे वह वास्तविक सार्वजनिक क्षेत्र की तरह जनता की सेवा में कार्य करे, न कि पूँजीपतियों की सेवा में जैसा कि फिलहाल हो रहा है।

## इजारेदारियों की पौबारह

सरकार की नीति हमेशा इजारेदार पूँजीपतियों और बड़े पूँजीपतियों के

स्वार्थों की सेवा करती है। घनश्याम दास बिड़ला द्वारा, जो कि बदनाम सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों में से एक हैं इन्दिरा सरकार की इस प्रशंसा से से बढ़कर विनाशकारी और कुछ नहीं हो सकता। ग्वालियार से १८ मार्च को पी. टी. आई. द्वारा भेजे गये समाचार में कहा गया "मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला ने सिर्फ आलोचना के लिये सरकार की आलोचना करने की व्यापारी समाज की आदत का मजाक उड़ाया। सरकार की वर्तमान नीति की प्रशंसा करते हुये श्री बिड़ला ने कहा कि उन्हें यह नहीं लगता कि सरकार व्यवहार में इजारेदार घरानों के प्रति कठोर है। उन्होंने कहा कि इजारेदार घरानों की आलोचना सिर्फ भाषणों में की जाती है। बड़े और छोटे दोनों ही हिस्सों के साथ लाइसेंस के मामले में समान व्यवहार किया जा रह है।"

क्या दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जो ए. आई. टी. यू. सी. का नेतृत्व करते हैं, इन्दिरा गांधी के बारे में अपनी राय बदलेंगे? ज्यादा सम्भावना इस बात की है कि वे श्री घनश्याम दास बिड़ला के बारे में अपना मत बदल देंगे और उन्हें प्रगतिशील शक्तियों में शामिल कर लेंगे।

श्री बिड़ला अवश्य ही सच बात कह रहे थे। इंदिरा गांधी के प्रवक्ताओं के इजारेदारी विरोधी गर्जन-तर्जन इजारेदारियों के स्वार्थों को बढ़ाने की धोखे की टट्टी है। पूंजी की कमी के बहाने उनसे सब क्षेत्रों में पूंजी लगाने को कहा जा रहा है। उनके लिये नये नये क्षेत्र खोल देने के लिये हर उपाय इस्तेमाल किया जा रहा है।

फिर श्री बिड़ला खुश भी क्यों न हों? १९५१ और १९७० के बीच उनकी सम्पत्ति ५१ करोड़ रुपये से बढ़कर ६८७ करोड़ रुपये हो गयी। उसी दौरान टाटा की सम्पति ९५ करोड़ रुपये से बढ़कर ७११ करोड़ हो गयी। (अवश्य ही इतने पर भी श्री जे. आर. डी. टाटा हाल की एक सभा में शिकायत करने से बाज न आये कि व्यक्तिगत क्षेत्र का घेराव किया जा रहा है। १९७३-७४ साल के दौरान जब लोगों को भयंकर हालत से गुजरना पड़ रहा था, और मजदूर वर्ग को एक एक नये पैसे के लिये लड़ना पड़ रहा था, उस वक्त पूंजीपतियों की हालत क्या थी? दिसम्बर १९७४ की रिजर्वबैंक बुलेटिन के अनुसार १९७३-७४ में ३५३ गैरसरकारी गैर वित्तीय कम्पनियों के मुनाफे में मार्के की वृद्धि हुई। यह ५६ करोड़ रुपये बढ़कर टैक्स देने के बाद २८० करोड़ रुपये हो गया जब कि पिछले साल उनका मुनाफा १४ करोड़ रुपये घट गया था। टैक्स और ब्याज में वृद्धि पर विचार करने के बाद वास्तविक वृद्धि

९४ करोड़ रुपये होगी।

मोट मूल्य अर्थात् कुल अतिरिक्त मूल्य या वह श्रम जिसका मूल्य नहीं दिया गया, १०० करोड़ बढ़ गया। और ५९६ करोड़ रुपये से ६९० करोड़ रुपये हो गया, जब कि लाखों मजदूरों के वेतन और मजूरी में सिर्फ ९१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

## नयी आज़ादी

यह सरकार अब इजारेदार पूंजीपतियों या प्राइवेट पूंजीपति को नियंत्रण में रखने का दिखाव भी छोड़ रही है। वह इजारेदार पूंजीपतियों के लिये नये क्षेत्रों के दरवाजे खोल रही है। इजारेदार पूंजी के सबसे बेशर्म पैरोकार श्री पै और प० बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री राय है। दोनों ही इन्दिरा गांधी के मन की बातें कह रहे हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र को उसमें पब्लिक को शामिल करने के नाम पर पूंजीवादी मगरमच्छों के हाथ बेचा जा रहा है। इसके अलावा श्री पै के जरिये सरकार पूंजीपतियों से वादा कर रही है कि मूल्य पर नियंत्रण हटा लिये जायेंगे, ऊँचे मुनाफे की कम से कम १६ प्रतिशत मुनाफे की गारन्टी दी जायगी जिसके माने हैं कि मजदूरों का हैवानी शोषण होगा। गरीबी हटाओ के जरिये बिल्कुल बेनकाब हो गया है। मजदूरों को सुनिश्चित न्यूनतम वेतन देने की जगह वे पूंजीपतियों को सुनिश्चित ऊँचा मुनाफा दे रहे हैं! कांग्रेसी समाजवाद आगे बढ़ रहा है!

## विदेशी पूंजी को घुसाने की कोशिश

पाँचवीं पांच साला योजना ने हमारे देश की आत्मनिर्भरता को विकसित करने के सरकारी निश्चय की घोषणा की थी। वह नारा कहां गया? मिश्रित अर्थतंत्र को अधिकाधिक विदेशी ऋण की जरूरत है। इसके अलावा, सरकार अमरीकी पी. एल.-४८० के अन्तर्गत खाद्य आयात स्वीकार कर रही है। विदेशी कर्ज पर देश के अर्थतन्त्र की निर्भरता बढ़ रही है और इसके साथ ही हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता पर खतरा बढ़ रहा है।

सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि बहुराष्ट्रीय निगमों को भी जो जनतन्त्र, राष्ट्रीय स्वाधीनता और मजदूर वर्ग के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बेशर्मी के साथ

राजी किया जा रहा है। लगता है कि निगमों की २०० से ज्यादा शाखाएं हैं जो औद्योगिक संस्थाएं नहीं, बल्कि आर्थिक साम्राज्य हैं। वे सरकारों को गिराते हैं और अपने निजी इरादों की पूर्ति निश्चित करने के लिये अपनी कठपुतलियां बैठाते हैं। इन्हीं निगमों के षड़यन्त्र से चिली में अलेन्दे की सरकार उलटी गयी थी। जो इन्दिरा सरकार आये गये सी. आई. ए. के कारनामों की बातें किया करती है, वही सी. आई. ए. और अमरीकी साम्राज्यवाद की इस महत्वपूर्ण एजेन्सी को देश की स्वतंत्रता को निगलने की इजाजत दे रही है।

आप मुझे एक नामी दैनिक के हाल में छपे एक लेख एक अंश उद्धृत करने की इजाजत दीजिए! 'जाहिर हुआ है कि दुनिया में अनाज की कमी पर अगस्त १९७४ में लिखी गयी सी. आई. ए. की रिसर्च रिपोर्ट ने कहा हैकि भारत जैसे विकासमान देशों की हालत संयुक्त राज्य अमरीका को इतनी क्षमता दे सकती है जितनी उसके हाथ में पहले कभी भी न आयी; संभवत: उसका आर्थिक और राजनीतिक आधिपत्य इतना बढ़ जायेगा जितना युद्ध के फौरन बाद के दो वर्षों में भी न था। वाशिंगटन जरूरतमन्द करोड़ों लोगों का भाग्य विधाता बन सकता है, उनको जिन्दा रखने और मारने की क्षमता उसके हाथ में आ सकती है।" (जे. डी. सेठी, अमृत बाजार पत्रिका)

मजदूरवर्ग खुद अपने और राष्ट्रीय स्वार्थ के लिये वह राष्ट्रीय नियमों का राजी करने की कांग्रेस की नीति की निन्दा करता है और इसके खिलाफ जनता को आगाह करता है।

## चढ़ी कीमतों से राहत नहीं

दस महीने पहले सरकार ने मुद्रा स्फीति और चढ़ी कीमतों से लड़ने के नाम पर बदनाम वेतन जाम कानून पेश किया था।

मजदूरों, नौकरी करने वालों और पेशेवाले लोगों पर हमला करने की इस नीति के नतीजे क्या हूए हैं? मजदूरों और कर्मचारियों की जब से ५०० करोड़ से ज्यादा रुपये निकाल लेने का परिणाम क्या हुआ है?

सरकार कह रही है कि कीमतें गिरने लगी हैं। लेकिन क्या लोग भी यह बात जानते हैं? क्या उन्हें कोई राहत मिली है? क्या खाद्य और जिन्दगी की दूसरी जरूरी चीजें मजदूरों और दूसरे श्रम जीवियों की सहज पहुंच के अन्दर हैं?

सच्चाई यह है कि सितम्बर १९७४ के अन्त और १५ फरवरी १९७५ के

बीच खाद्य वस्तुओं की थोक कीमतें ७ प्रतिशत घटी हैं। आम मूल्य सूचकांक के भी प्रायः ५ प्रतिशत कम हुआ है।

इस गिरावट के बावजूद दिसम्बर १९७४ में कीमतें एक साल पहले से १८.८ प्रतिशत ज्यादा थीं। आर्थिक सर्वेक्षण भी कीमतों की बाढ़ के रुकने का वादा नहीं करता वह वादा सिर्फ यह करता है कि कीमतों की बाढ़ की रफ्तार धीमी हो जायेगी। "इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आशा की जा सकती है कि आगामी महीनों में मूल्य वृद्धि की रफ्तार गत वर्ष के इसी समय की तुलना में धीमी पड़ जायेगी।" वेतन जाम सिर्फ मजदूरों को लूटने का, संकट का बोझ उनके कन्धों पर डालने का हथियार था।

## जमींदारों के खिलाफ

किन्तु खाद्य के पुराने अकाल और कालेबाजार की कीमतों से स्थायी राहत तब तक न मिलेगी जब तक मजदूर वर्ग इन्दिरा सरकार की जमीन्दारपरस्त नीतियों पर गोलाबरी नहीं करता और उन्हें पराजित नहीं करता। करोड़ों खेत मजदूरों और किसानों से हाथ मिलाकर मजदूर शर्ग को मांग करनी होगी कि जमीन पर जमीन्दारों की इजारेदारी तोड़ दी जाय और जमीन जोतने वालों में बाँट दी जाय। इस कृषि क्रान्ति के बगैर न तो यही कीमतों और खाद्य के अकाल से मुक्ति मिलेगी और न किसानों की बढ़ती गरीबी दूर होगी। फौरन मांग बुलन्द की जानी चाहिये कि एक निश्चित मूल्य पर जमीन्दारों का स्टाक ले लिया जाय। आकर्षक मूल्य और बोनस देकर छोटे किसानों की पैदावार को आकर्षित किया जाय और खाद्यान्न का थोक व्यापार पूरी तरह हाथ में लिया जाय। ट्रेड यूनियनों का काम होना चाहिये कि वे मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित करें और हमारे अर्थतंत्र पर जमीन्दारों के अधिपत्य के खिलाफ लड़ने के लिये उसे जगायें।

## बढ़े टैक्स

साथियो, हम मजदूरों और जनसाधारण को संकट का बोझ ढोने के सिर्फ चढ़ी कीमतों के जरिये ही बाध्य नहीं किया जाता। कांग्रेस सरकार का अत्यधिक टैक्स, जो सब वस्तुओं की कीमत चढ़ा देती है, विवेकशून्य शासकों को दूसरा

हथियार है। हम इसी घटना को अग्रसर पूंजीवादी राज्यों में देखते हैं। सिर्फ १९७४-७५ में ९३५ करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त टैक्स (पूरे साल में, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये।

टैक्स के इन बोझों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे मुख्यत: वस्तुओं पर लगे टैक्सों पर निर्भर करते हैं जिनसे कीमतें बढ़ जाती हैं।

इससे हर वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जाती है और लोगों के कन्धों पर बड़ा भारी बोझ आ पड़ता है। पेट्रोल पर टैक्स और शुल्क कच्चे तेल के बुनियादी आयात मूल्य के ३७५ प्रतिशत हैं जिससे परिवहन की कीमत बढ़ जाती है। १९७२ में अनुमान लगाया गया था कि केन्द्रीय सरकार के अप्रत्यक्ष कर दैनिक व्यवहार की कितनी वस्तुओं के कारखाने से बाहर आने के समय के कुल मूल्य का ५० प्रतिशत लेकर ७० प्रतिशत तक हैं। वे कपड़े के उत्पादन मूल्य का ५० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक, चीनी के मूल्य का ७५ प्रतिशत, सीमेन्ट के मूल्य का ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक हैं।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के टैक्स जनता को लूटते हैं। वे मूल्य को गरीब वर्गों के पास से धनी वर्गों तथा उनके राज्य के पास हस्तान्तरित करने में मदद करते हैं और मुद्रास्फीति बढ़ाते हैं।

## वेतन जाम

मुद्रा स्फीति से लड़ने के लिये सरकार ने जो पहला कदम उठाया वह था मजदूरों की क्रय क्षमता को कम करना। लेकिन इस बार आक्रमण को व्यापक बनाना पड़ा और संकट के बोझों को जनता के ज्यादा हिस्सों के कन्धों पर सीधे लादना पड़ा। कर्मचारी, डाक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर, इन्जीनियर अपना पसीना बटोर कर ईमानदारी से रोटी कमाने वाले सभी लोगों को फांसा गया। यह दिखाने के लिये सरकार निष्पक्ष है, कुछ प्रतिबन्ध लाभांशों की घोषणा पर भी लगाये गये। लेकिन इसी साल के बजट में ये हटा दिये गये। वेतन जाम के कदम अपने सब कर्मचारियों पर, जिनका वह शोषण करता है, हमला करने के पूँजीपति वर्ग के वर्गीय कदम बन गये हैं।

इसने पहली मर्तबा इन सब हिस्सों को यह महसूस कराया है कि उन्हें उसी पूंजीवादी चक्की में पीसा जा रहा है। इसका नतीजा मजदूरों और कर्मचारिणों के एकजुट संग्रामों और प्रतिवादों के रूप में सामने आया है। इनके

बारे में हम जनरल रिपोर्ट में पढ़ चुके हैं। सितम्बर का दिल्ली कवेन्शन एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। सी. आई. टी. यू. की यूनियनों को इस एकता को आगे बढ़ाना होगा। और सब अन्य हिस्सों को प्राध्यापकों, अध्यापकों, डाक्टरों को आम लड़ाई के मैदान में एक साथ उतरने के लिये निमंत्रित करना होगा। हम सबको अवश्य ही आशा करनी चाहिये कि जल्दी ही हम सब मजदूर, कर्मचारी, प्राध्यापक और अध्यापक, केन्द्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी पूँजीपति जमीन्दारी सरकार की की नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई चलाने के लिये एक आम संगठन में शामिल होगें। मजदूरों और कर्मचारियों तथा दूसरों के बीच वर्तमान सांगठनिक विभाजन कृत्रिम विभाजन है जिसे शासक वर्गों ने पैदा किया है। जितनी ही जल्दी यह समाप्त हो जाय उतना ही अच्छा है। वेतन जाम कानून और उसके साथ के दूसरे कदमों का असर शहरी जनता के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है। उन्हें सीधे आन्दोलन में खींच लाना होगा और सारे संघर्ष को सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रतिवाद के विराट प्रदर्शन को रूप देना होगा।

## ऋण संकोचन

जिन महत्वपूर्ण हिस्सों पर खतरा आया है, उनमें से एक है लघु उद्योगों का हिस्सा। ये लघु उद्योग सरकार की ऋण संकोचन नीति के कारण पूरी तरह बरबाद हो रहे हैं। इससे लाखों मजदूरों के बरबाद हो जाने का खतरा है क्योंकि लघु उद्योगों में लगी कुल श्रम शक्ति के ४० प्रतिशत को काम देते हैं। इन हिस्सों की तरफ से सरकार के ऋण संकोचन के खिलाफ, जिसे मुद्रा-स्फीति विरोधी कदम बताया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है।

साथियो, सरकार के तथाकथित मुद्रा स्फीति विरोधी कदमों से बड़ा नुकसान किसान उत्पादनकर्त्ता को हो रहा है। मजदूर वर्ग की तरह वह भी संकट और उसके बोझ को जनता के कन्धे पर डालने के सरकारी कदमों का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है।

ऋण संकोचन और सरकार के कई कदमों ने देहात में बरबादी लादी है। प्रथमतः, खाद्यानों की तथाकथित ग्रेडेड लेवी जमीन्दारों को सुरक्षित रखकर छोटे किसानों से पैदावार छीनने का सभ्य हथियाने बन गया है। द्वितीयतः ऋण संकोचन और कपास तथा पाट खरीदने वाले कारपोरेशनों की मालों ने

कपास और पाट के छोटे उत्पादनकर्त्ताओं को बरबाद कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में कपास और पाट की कीमत ४० प्रतिशत गिरी है। इस विनाशकारी गिरावट ने कपास के किसानों को बरबाद कर दिया है, लेकिन इससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा और न गरीबों के कपड़े की कीमत कम हुई। इससे सिर्फ व्यापारियों, सट्टेबाजों और मिल मालिकों का मुनाफा बढ़ा। और अन्ततः खण्डसारी बनाने वालों पर सरकार के भेदभाव भरे टैक्सों और शुल्कों ने उन्हें बरबाद कर दिया है और हजारों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है।

## केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ भेदभाव

साथियो, हमारी सी. आई. टी. यू. को खासकर यह बात नोट करनी चाहिये कि केन्द्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को, हमारे बहादुर रेलवे मजदूरों और सुरक्षा मजदूरों को वेतन जाम कानून का विशेष शिकार बनाया गया है। पे कमीशन के फैसले के अनुसार उन्हें कम से कम आधा अतिरिक्त मँहगाई भत्ता नकद पाने का अधिकार है। लेकिन यद्धपि महंगाई भत्ते में जुलाई १९७४ से लेकर अब तक चार से लेकर छः तक वृद्धियां बाकी हैं, कर्मचारियों को प्रायः कुछ भी नहीं मिला न तो नकद और न जमा। केन्द्रीय और विभिन्न राज्य सरकारें गैर कानूनी तरीके से सारे मँहगाई भत्ते को रोक रखने की कोशिश कर रही हैं। यह दिन दहाड़े लूट है। प० बंगाल सरकार जैसी कुछ राज्य सरकारों ने सिर्फ ४ से ८ रुपये तक देने का वादा कर कटे पर नमक छिड़का है। भारत सरकार ने हाल ही में एक झूठा और ठगी से भरा समझौता पेश किया जिसे लड़ाकू नेताओं ने नामंजूर कर उचित काम किया है।

हम एकजुट होकर केन्द्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के, रेलवे और सुरक्षा कर्मचारियों के न्यायपूर्ण संघर्ष का समर्थन करते हैं। हम मांग करते हैं कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें मंहगाई भत्ते को गैर कानूनी तरीके से वापस लेने से बाज आये।

हम अपना हार्दिक अभिनन्दन त्रिपुरा के संग्रामरत ३०,००० राज्य कर्मचारियों के पास भेजते हैं जिन्होंने मार्च में बहादुराना हड़ताल चलायी।

साथियो, बहुत से मजदूर उत्सुकता के साथ पूछते हैं कि उनका जमा मंहगाई भत्ता सरकार के हाथ में सुरक्षित तो है कि, उन्हें वह वापस तो मिलेगा। हम नहीं कह सकते। लगता है कि न तो मालिक और न सरकारी अधिकारी

ही उसका उचित हिसाब-किताब रखते हैं। अगर हजारों मजदूरों को धोखा दिया जाय तो हमें ताजुब न करना चाहिये। कांग्रेसी मन्त्रियों और कांग्रेसी राज की नैतिकता के स्तर को देखकर कहा जा सकता है कि कोई भी चीज सम्भव है।

साथियो, क्या हमें मान लेना चाहिये कि वेतन जाम कानून जुलाई के अन्त तक समाप्त हो जायगा जैसा कि वादा किया गया था ? क्या अब हमारा मंहगाई भत्ता बन्धन मुक्त हो जायगा और हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमें मिलेगा ?

हमें यह सपना न देखना चाहिये। वेतन जाम कानून कोई अस्थायी कदम नहीं। यह स्थायी कानून है और ऐसा ही बना रहेगा अगर मजदूर वर्ग इसे हटवाने में सफल नहीं होता। संकट काल की तरह जोकि विशेषतः भारत-पाक युद्ध के दौरान घोषित किया गया था, यह स्थायी रूप से बना रहेगा। आर्थिक हालत जिसका वर्णन मैं कर चुका हूँ, हमारे ऊपर बोझ लादने की पूंजीपतियों और जमीन्दारों की जरूरत, मन्दी की हालत, सरकार द्वारा पूंजीपतियों और जमीन्दारों का पक्षपात—ये सब साफ बताते हैं कि इंदिरा सरकार हमारी कमाई पर अपना भयंकर शिकंजा न हटायेगी। हमसे हमारा महंगाई भत्ता, हमारी मजूरी ठग कर छीन लेने के लिये जाम कानून या उसकी जगह कोई दूसरा उपाय खोज निकाला जायगा।

अब से हमें बराबर मांग बुलन्द करनी होगी कि जाम कानून और उसके साथ के दूसरे कानून वापस लिये जायँ और जारी रखने की इजाजत न दी जाय। इस मांग को हर मंच से बुलन्द करना होगा। अगर सरकार को ये कानून जारी रखने की दुर्बुद्धि सूझती है, तो एकजुट मजदूरों, कर्मचारियों और पेशेदार लोगों की पूरी ताकत के जरिये इसका मुकाबिला करना होगा।

## असंगठित उद्योग

साथियो, यहां मैं आपको लघु उद्योगों के मजदूरों के प्रति अपने कर्त्तव्य की याद अवश्य दिलाऊँगा। ये मजदूर सबसे ज्यादा शोषित स्तरों में से हैं। सारे देश में हजारों छोटे छोटे उद्योग और कारखाने हैं। सम्भवतः केवल महाराष्ट्र में एक लाख से ज्यादा इन्जीनियरिंग मजदूर ऐसे कारखानों में काम करते हैं जो फैक्टरी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। कलकत्ता इससे भी ज्यादा

के लिये गर्व कर सकता है। ऐसे कारखानों के हजारों मजदूर संकट के कारण या तो ले-आफ कर दिये गये हैं या छंटाई हो गये हैं। उनको न तो ले-आफ का हर्जाना मिलता है और न छंटाई का पैसा। उनकी मजूरी अक्सर ३ रुपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं। न तो उन्हें मंहगाई भत्ता मिलता है और न काम के घण्टे निश्चित होते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इन्जीनियरिंग कारखानों के लिये नयी न्यूनतम दर निश्चित की थी, किन्तु मालिक उसे चालू करने से इन्कार करते हैं।

साथियो, इन असंगठित उद्योगों के मजदूरों को संगठित करना होगा ताकि वे अपनी वाजिब मांगें हासिल कर सकें। राज्य को मजबूर करना होगा कि वह जहां भी आवश्यक हो वहाँ ले-आफ की क्षतिपूर्ति और छंटाई के हर्जाने की जिम्मेदारी ले तथा ई. एस. आई. सर्विस चालू करे।

न्यूनतम मजूरी कानून के अन्तर्गत अनुसूचित रोजगारों में हालत और भयानक है। इनमें बीड़ी जैसे उद्योग शामिल हैं जिसमें लगभग २० लाख मजदूर काम करते हैं। इनमें से केवल २ लाख मजदूर ही फैक्टरी एक्ट के अन्दर आते हैं। इन रोजगारों में दैनिक मजूरी की दर १॥ रु० से ३ रु० तक है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपनी संगठित ताकत के बल से ज्यादा मजूरी हासिल कर सका है। कांग्रेस सरकार ने इन मजदूरों के साथ गद्दारी की है। न्यूनतम मजूरी कानून पांच-पांच साल के अन्दर मजूरी फिर से सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। लेकिन त्रिपुरा सरकार ने २१ साल से बीड़ी मजदूरों की मजुरी नहीं बढ़ायी। प० बंगाल में १३ साल से मजूरी फिर से निश्चित नहीं की गयी। सरकारी तौर पर स्वीकार किया जाता है कि कानून के अन्तर्गत पड़ने वाले रोजगारों में से ९४ में पांच साल से ज्यादा और ३४ रोजगारों में दस साल से ज्यादा समय से न्यूनतम मजूरी बदली नहीं गयी।

कांग्रेस सरकारें न्यूनतम मजूरी कानून का इस्तेमाल मालिकों की रक्षा के लिये करती हैं। जब मजदूर कलकत्ता और गुजरात की तरह संघर्ष के जरिये अपनी मजूरी क्रमशः ७ रु० और ९ रु० प्रति हजार बीड़ी करवा लेते हैं तो कांग्रेस के राज्य श्रम मन्त्री गुरु गम्भीरता के साथ राष्ट्रीय न्यूनतम ५ रु० निश्चित करते हैं।

सी. आई. टी. यू. की यूनियनों को इन हिस्सों को, जिनका गहरा सम्बन्ध अक्सर खेत मजदूरों और किसानों से होता है, संगठित करने में मदद करनी

होगी। उनका संगठन देहात के जनगण को एकजुट करने और उनका आंदोलन आरंभ करने में मदद देगा।

## सार्वजनिक क्षेत्र

साथियो, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र जितना बदनाम हुआ है उतना शायद अन्य किसी देश में नहीं। उसका दूसरा नाम अयोग्यता, भ्रष्टाचार, विदेशियों के साथ राष्ट्रविरोधी सौदा, सार्वजनिक पैसे की बरबादी तथा कम उत्पादन और बड़ा नुकसान है। सिर्फ इसी साल सरकार ने घोषणा करनी शुरू की है कि कुछ सरकारी कारखाने अपनी ७० प्रतिशत से ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई में मुनाफा हो रहा है। ये मुनाफे कहां तक असली हैं और कहां तक सिर्फ कीमतें बढ़ाकर मुनाफा दिखा दिया गया है—यह कहा नहीं जा सकता।

लेकिन तथ्य दिखाते हैं कि बहुत से कारखाने, जिनमें कुछ सबसे बड़े हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। सारे मुनाफे की दर गत वर्ष की तुलना में जरा भी नहीं बढ़ी। संभवतः अधिकांश मुनाफा तैयार माल की कीमत बढ़ाकर और मजदूरों की असली आय कम कर सुनिश्चित किया गया है।

लेकिन मजदूरों के साथ किये जाने वाले व्यवहार को देखकर कोई भी समझ सकता है कि इस क्षेत्र में सार्वजनिक भावना का अभाव है। अगर मजदूरों को समानता के आधार पर हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित किया जाता, तो सार्वजनिक क्षेत्र की कहानी दूसरी होती। तब घूसखोरी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद समाप्त हो गये होते।

सार्वजनिक क्षेत्र के सुचारू रूप से चलने के लिये महत्वपूर्ण शर्त अधिकारियों की ईमानदारी और मजदूरों का विश्वास है। भारत में इन दोनों का अभाव है। मजदूरों के साथ गुलामों जैसा, किसी सामन्त के चाकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। सिर्फ स्टैंडिंग आर्डर्स पर नजर डालते ही यह बात समझ में आ जायेगी। लगता है कि स्टैण्डिंग आर्डर सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने के नहीं, बल्कि किसी जेल के नियमों की नकल कर बनाये गये हैं। मजदूरों को व्यवस्थापकों की मर्जी पर बिना किसी कार्यवाही के बर्खास्त किया जा सकता है। भिलाई इस्पात कारखाने का, जो सोवियत संघ की तकनीकी और वित्तीय सहायता से चलाया जाता है, स्टैण्डिंग आर्डर कहता है कि "अगर किसी मज-

दूर को अपराधपूर्ण कार्य के लिये न्यायालय सजा देता है या जनरल मैनेजर इस बात से संतुष्ट है, उन कारणों से जिन्हें लिखकर रखना होगा, कि मजदूरों को काम पर रखना उचित नहीं या सुरक्षा के स्वार्थ के विरुद्ध है, तो स्टैण्डिग आर्डर नम्बर ३१ में लिखी कार्यवाही को किये बगैर मजदूरों को काम से हटाया जा सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है।" अगर मैनेजर भी यह सोचता है कि मजदूर को काम पर रखना उचित नहीं, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है। सचमुच ही यह मिश्रित अर्थतन्त्र है। तकनीकी मदद समाजवाद से ली जाती है और स्टैण्डिग आर्डर पूंजीवाद से। इन आर्डरों के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन अधिकार कैसे बने रह सकते हैं ?

भिलाई का स्टैण्डिग आर्डर नं० २८ कर्मचारियों को आदतन कर्जा लेने से बचने को कहता है। जबकि मजदूरी कम है और महंगाई भत्ता जाम कर दिया गया है, यह कटे पर नमक छिड़कना है।

संगठन की स्वतन्त्रता कितनी है ? स्टैण्डिग आर्डर नम्बर २९ समझता है कि व्यवस्थापना की इजाजत बगैर कम्पनी की इमारतों के अन्दर कोई भी सभा करना मिसकंडक्ट है जो दण्डनीय है।

व्यवस्थापना की लिखित इजाजत बगैर कारखाने की इमारत के अन्दर किसी तरह का पैसा इकट्ठा करना और उसके लिये दूसरों को कहना अथवा व्यवस्थापना की लिखित इजाजत के बिना कारखाने की इमारत के अन्दर या आसपास किन्हीं भी समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं, परचों, पोस्टरों का बांटना या दिखाना और लगाना मिसकांण्डक्ट है।

यह सिर्फ कठपुतली यूनियनों के लिये आज्ञापत्र है। कोई भी यूनियन, जिसे व्यवस्थापक पसन्द नहीं करते, फण्ड या चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकती, परचे या पोस्टर निकाल नहीं सकतीं। मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की पुस्तक की शोभा बनाने के लिये है, लेकिन समाजवादी सहायता पानेवाले भिलाई के कारखाने के लिये नहीं !

कुछ अन्य कारखानों के स्टैंडिग आर्डर मजदूर को विधान सभा या संसद के चुनाव में इलेक्शन एजेन्ट बनने की इजाजत नहीं देते; उसे व्यवस्थापकों की इजाजत बिना किसी पत्रिका में लिखने की आज्ञा नहीं देते। (लगता है कि अगर आपका मन कविता लिखने को करता है तो आप को व्यवस्थापकों की इजाजत लेनी होगी) इन जालिम स्टैंडिग आर्डरों के रहते मजदूरों को कैसे लग सकता है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के लिये काम करते हैं ? सार्वजनिक क्षेत्र को

अच्छी तरह चलाने का एकमात्र रास्ता है जेलखानों की हालतों को खत्म करना, न्यूनतम आर्थिक आय को सुनिश्चित करना; नौकरशाही व्यवस्था को खत्म करना और उसके सारे कामों पर मजदूरों का नियंत्रण और निरीक्षण कायम करना।

मजदूर वर्ग समझता है कि मौजूदा नौकरशाही और पूंजीवादी व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का विचार मजाक बन जाता है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के इस ख्याल का समर्थन नहीं कर सकते। हम ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के हामी हैं जिसमें मजदूर वर्ग को पूरे ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्त हों, जो नौकरशाही व्यवस्थापना से स्वतंत्र हो और जो इजारेदार पूंजीपतियों के खिलाफ काम करता हो।

## औरतों के साथ भेदभाव

साथियो, अपने पिछले सम्मेलन में हमने मजदूरिनों के साथ मजूरी तथा दूसरी बातों में भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। हमारे बगान और बीड़ी मजदूरों ने इस सवाल पर लड़ना आरम्भ कर दिया है।

औरतों के साथ भेदभाव को हमारे आन्दोलन के प्रति गम्भीर चुनौती के रूप में देखना होगा। यह समान काम के लिये समान वेतन के बुनियादी सिद्धान्तों को भंग करता है।

केन्द्र में एक औरत प्रधानमन्त्री है। उड़ीसा में एक औरत मुख्यमंत्री है। लेकिन फिर भी भेदभाव जारी है। साधारण नारीत्व का बन्धन वर्ग स्वार्थों के बन्धन के सामने अपंग हो गया है।

मजूरी के बारे में भेदभाव के कुछ उदाहरण लीजिये। १९७२-७३ में केरल के चाय बगानों में मजदूरों को दैनिक मजदूरी ३.४४ रु. दी गयी जबकि मजदूरिनों को सिर्फ ३ रु०। आसाम में मजदूरों को मिला २.९५ रु० जबकि मजदूरिनों को मिला २.७५ रु०। नारियल रेशा उद्योग में मजदूरों को ४.४६ रु० मिला जबकि मजदूरिनों को सिर्फ ३.१० रु०।

बीड़ी उद्योग में कलकत्ते में १९७२-७३ में मर्दों को १००० बीड़ी पर ५ रु० दिया जाता था जबकि औरतों को सिर्फ १.७५ रु०। १९७४ की हड़ताल के बाद मर्दों को हजार बीड़ी पर ७ रु० मिल रहा है, लेकिन मजदूरिनों को सिर्फ ३.५० रु० दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने १९५८ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (आई. एल. ओ.) के कन्वेन्शन न० १०० को स्वीकार किया है जिसमें मर्दों और औरतों को समान वेतन की बात कही गयी है। तब से अब तक सोलह साल बीत गये हैं, लेकिन अब भी औरतों को एक ही तरह के काम के लिये मर्दों से कम मजदूरी दी जाती है। सी. आई. टी. यू. ने इस कन्वेन्शन के भंग किये जाने की रिपोर्ट अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के डाइरेक्टर जनरल के पास भेजी है।

हमने इस बात का भी संकेत किया कि औरतों के लिये कम मजूरी तय करना इन्दिरा सरकार की जानी-बूझी नीति है। सरकार द्वारा नियुक्त मजदूरी निर्धारण समिति ने बगानों, इमारती कामों और दूसरे उद्योगों में औरतों के लिये असमान वेतन की सिफारिश की है। भारत सरकार के सेन्ट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्ट में समान वेतन का सिद्धान्त तोड़ा जाता है। राज्यों तथा केन्द्र की न्यूनतम मजदूरी सलाह समितियों ने भी असमान मजदूरी की सिफारिश की है और सम्बन्धित सरकारों ने इसे स्वीकार कर लिया है।

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय को यह स्वीकार करते जरा भी हिचक नहीं होती कि भारत सरकार समान मजदूरों के सिद्धान्त को नियमतः स्वीकार नहीं करती। औरतों के साथ इस असमान व्यवहार को उचित ठहराते हुये उसने एक पत्र में कहा "परम्परागत ढर्रा मर्दों, औरतों और बच्चों की मजदूरी की दर में अन्तर करना है जिस कन्वेन्शन पर गुरु गम्भीरता के साथ दस्तखत किये गये थे, उसका क्या हो रहा है? संविधान में घोषित पुरुष और स्त्रियों के बीच समानता का क्या हो रहा है? वे विदेशियों को दिखाने के लिये सिर्फ नुमाइश की चीजें हैं। कोई भी सभ्य सरकार इतनी बेशरमी के साथ इस सिद्धान्त को अस्वीकार न करेगी। लेकिन गरीबी हटाओ बाजीगरों के लिये हर बात सम्भव है।

लगता है कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के सामने भारत सरकार की जो कलई खोली है, उसने उसे ऐसे कानून का विज्ञापन छापने को बाध्य किया है, जिसमें औरतों को समान मजदूरी देने का वादा किया गया है। कांग्रेसी वादों के सम्बन्ध में अपने अनुभव पर विचार कर हम विश्वास नहीं करते कि कोई प्रगतिशील कानून बनाया जायगा। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय नारी वर्ष का विज्ञापन है जिसे वर्ष के बीतते ही भुला दिया जायगा। जो भी हो, हमारा आन्दोलन इसे प्राप्त करने के लिये जारी रहेगा।

# बेरोजगारी

साथियो, अपने पिछले सम्मेलन में हमने चेतावनी दी थी कि हमारे देश में बेरोजगारी चन्द रोज की घटना नहीं, और हालत तब तक बिगड़ती जायगी जब तक कांग्रेस हमारी जनता पर पूँजीवादी रास्ता लादती रहेगी मैंने पहले ही छंटाई और ले आफ किये गये मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या का जिक्र कर दिया है।

अर्थतंत्र का टेढ़ा-मेढ़ा विकास जनगण को बहुत बड़ी संख्या में घर-द्वारहीन, नंगा और भिखमंगा बना रहा है। संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों में, रोजगारी की वृद्धि १९७३ की अप्रेल और दिसम्बर के बीच सिर्फ १.५ प्रतिशत थी। ०.७ प्रतिशत की रफ्तार से घोंघे की चाल चलने वाले अर्थतन्त्र से और आशा ही क्या की जा सकती है? पिछले वर्ष की हालत बदतर दीख पड़ेगी-जब कि सिर्फ ३.५ प्रतिशत वृद्धि की रफ्तार की ही आशा की जाती है। हमलोग पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह हजारों लोगों को सड़क पर बैठा दिया गया है।

सरकारी रजिस्टर में नामदर्ज आवेदनकारियों की संख्या इसीलिये बढ़ती रही है। हमारे पिछले सम्मेलन के बाद एक साल के अन्दर बेरोजगारों की संख्या १० प्रतिशत बढ़ गयी और जून १९७४ तक ८३.५४ लाख तक पहुंच गयी। आर्थिक सर्वेक्षण को इस बात से कुछ संतोष सा लगता है कि बेरोजगारी की रफ्तार उतनी ज्यादा न थी जितनी जुलाई १९७२ और १९७३ के बीच थी! उस वक्त यह रफ्तार ३३ प्रतिशत थी।

अगस्त १९७४ तक नामदर्ज बेरोजगारों की संख्या बढ़कर ८७ लाख हो गयी।

उसके बाद हाल के महीनों में यह संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी होगी। लेकिन पदवी में तबदीली और दूसरे हथकण्डों के जरिये अधिकारी उसे कृत्रिम उपाय से कम बनाये रख रहे हैं।

जून १९७४ तक नौकरी की तलाश करनेवाले शिक्षित लोगों की संख्या ५ लाख से बढ़कर ४०.३२ लाख हो गयी। नौकरी की तलाश करनेवाले शिक्षित लोगों की संख्या में अधिकांश वृद्धि बिहार (१.२७ लाख), पश्चिम बंगाल (०.७ लाख), तमिलनाडु (०.६ लाख) और महाराष्ट्र (०.५ लाख) में हुई।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के हिसाब के अनुसार देहात में पूरा काम
वालों को शामिल कर बेरोजगारी ४ करोड़ तक पहुंच जायगी ।
में कुल बेरोजगारी की संख्या पूरा काम न पाने वालों को लेकर ५ क
सकती है । इसके माने हैं कि १९७१ की जनगणना के अनुसार कुल
गारों की संख्या काम में लगी १८३६ लाख जनसंख्या का २५ प्रतिशत
बताता है कि समाज व्यवस्था टूट रही है; यह सिर्फ चन्दरोज की बेर
की समस्या नहीं ।

बेरोजगारों के बढ़ते गुस्से को देखकर कांग्रेस राज्य सरकारें और
पति उसे भ्रातृघाती रास्ते की तरफ मोड़ देना चाहते हैं । रिलीफ मंज
और नागरिकों को काम करने के अधिकार का आश्वासन देने के बदले
मंत्री सिर्फ जमीन के बेटों को ही काम देने का नारा बुलन्द कर रहे ह
मजदूरों को अन्य राज्यों से निकाल देने की मांग है । यह बंगाली मजद
आसाम से, ओड़ियों को बंगाल से निकाल बाहर करने की मांग है ।
बम्बई में शिव सेना ही नहीं, कांग्रेसी भी दूसरी जगह यह प्रतिक्रियावादी
बुलन्द करते हैं । अगर भारत पर आक्रमण होता है तो क्या उसकी रक्षा
सिर्फ सरहदी राज्यों के मजदूरों का ही कर्त्तव्य है ? उससे सिर्फ यह
होता है कि पूंजीपति-जमीन्दार सरकार राष्ट्रीय एकता के बारे में कां
की बकवास के बावजूद देश की एकता की रक्षा करने में असमर्थ है ।

साथियो, ट्रेड यूनियन ने अब तक बेरोजगारों के प्रश्न की उपेक्षा
खतरा मौजूद है कि बेरोजगार नौजवानों को मजदूर वर्ग के खिलाफ इ
किया जाय ठीक वैसे ही जैसे हिटलर ने किया था । प० बंगाल पहले
दिखा रहा है कि खतरा वास्तविक है ।

अपने देहात और शहर के करोड़ों बेरोजगारों को भूख के कष्ट
कंगाली से बचाने के लिये हमें मांग करनी होगी कि-बेरोजगारी रिलीफ
दी जाय और-काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप संवि
शामिल किया जाय । जो सरकार रोजगार की गारंटी देने में असमर्थ है
रहने का अधिकार नहीं । हमें बेरोजगारों की रक्षा के लिये रोजगार
मजदूरों की सारी ताकत को गोलबन्द करना होगा ।

## बेरोजगारी कम करने की सरकारी एक

साथियो, शिक्षित और ग्रामीण बेरोजगारों का मन आकर्षित करने
केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने राहत की बड़ी बड़ी योजनाओं की घो

और उतने ही बड़े परिणामों का दावा किया। संसदीय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसी योजनाओं की संख्या दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही है। सी. आई. टी. यू. बेरोजगारों को मदद देने के हर असली कदम का समर्थन करती है लेकिन वह यह कहे बगैर नहीं रह सकती कि अधिकांश योजना का अन्त बेरोजगारों को ठगने और कुछ ठेकेदारों तथा नौकरशाहों को मालामाल करने में हुआ है। इन योजनाओं ने यह भी दिखा दिया है कि सरकार इस प्रश्न की बिल्कुल उपेक्षा करती है।

यह सरकारी आकड़ों से स्पष्ट देखा जाता है लोकसभा में जो आंकड़े पेश किये गये थे, ये बताते हैं कि यद्यपि सरकार ने ५ लाख नौकरियों के लक्ष्य का ढोल पीटा था, लेकिन २० प्रतिशत से भी कम नौकरियां देने का दावा कर सकी। इस मद में रखी गई रकम ७० करोड़ से प्रायः ५० प्रतिशत अर्थात आधी रकम खर्च करने के बाद सिर्फ ९२,००० ही काम की जगहें पैदा की जा सकीं। रोजगारी बढ़ाने की एकएक अन्य योजना के अन्तर्गत ६८,१५९ लोगों के लिए काम की जगहें पैदा करने का अनुमान लगाया गया है। इस संख्या की तुलना ४० लाख शिक्षित बेकारों की और देहात के करोड़ों लोगों की संख्या के साथ कीजिये।

उड़ीसा की ग्रामीण रोजगार योजना की हिसाब परीक्षा भी भ्रष्टाचार, ठगी झूठा हिसाब-किताब, और सार्वजनिक कोषों की लूट जाहिर करती है। यद्यपि ३ करोड़ रुपया की लागत की योजनामें (१९७१-७२ और १९७२-७३) हर जिले में १००० लोगों को तीन साल तक साल में दस महीने काम देने की बात थी लेकिन काम बहुत कम समय के लिये दिया गया।

जिन कामों के पूरा हो जाने की रिपोर्ट दी गयी, वे कतई पूरा नहीं हुए। जब उन कामों के लिये निर्धारित रकम उड़ा डाली गयी, तब मान लिया गया कि काम पूरे हो गये हैं। जितना काम होने की रिपोर्ट दी गयी थी, काम उससे कम हुआ। रुपया जिस काम की मद में रखा गया था, उसमें खर्च नहीं किया गया। मजदूरों के नाम मास्टर रोल में नहीं थे। सिर्फ उनके नेताओं अर्थात ठेकेदारों के नाम लिखे थे और उनके मजदूरों की संख्या दर्ज थी। सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि रुपया किसे मिला। सिर्फ यही नेता भुगतान की रसीद पर दस्तखत करते थे।

आम तौर पर प्रायः सभी राज्यों की यही कहानी है। ग्रामीण बेरोजगारी की योजना का काम इसी तरह चलता है।

फिर भी देहात के ज़मीन्दार और कांग्रेसी सरकारें इन योजनाओं का मक्कारी से भरा इस्तेमाल करती हैं और लगता है कि वे ग्रामवासियों के अन्दर हमदर्दी पैदा करने में कामयाब होती हैं। वे अक्सर गांव को शहर के खिलाफ खड़ा करती और मजदूर वर्ग और शहर के श्रमजीवियों तथा शोषित खेत मजदूरों और किसानों के बीच दरार पैदा करती हैं।

महाराष्ट्र में ट्रेड यूनियन आन्दोलन द्वारा किसानों की उपेक्षा से प्रोत्साहित होकर कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जिसका खास बोझ शहर के गरीब हिस्सों को, मजदूर वर्ग और मध्य वर्ग के हिस्सों को बर्दाश्त करना होगा। कांग्रेस सरकार ने; जिसने सारी हया धोकर पी ली है, ३६,००० रु० तक की आय वाले बड़े पूंजीवादी फारमों और जमीन्दारों को आयकर से प्रायः मुक्त कर दिया है, लेकिन उसके नये टैक्स लगाने के लिये आयकर देने वाले शहरी क्लर्क या मजदूर को पकड़ा है। शहर के उन लोगों को भी, जिन्हें आयकर देना नहीं होता, नया पेशेदार टैक्स देना पड़ता है क्योंकि वह ४०० रु० प्रतिमास वेतन पर ही शुरू हो जाता है।

वर्गीय पक्षपात बिल्कुल साफ है। जमीन्दार स्वार्थों से भरा राज्य के मंत्रिमण्डल ने ऐसा इन्तजाम किया है कि जिससे धनीफारमरों, पूंजीपतियों और जमीन्दारों को प्रायः एक पाई भी देना नहीं पड़ता। उन्हें प्रायः सब आयकरों से रिहा कर दिया है। कृषि पर १,५००० करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च की गयी रकम से मुख्य लाभ उन्हीं को हुआ। फिर भी उन्हें कर से मुक्त रखा गया है। शहर के उद्योगपतियों और इजारेदार पूंजीपतियों को भी सस्ता छोड़ दिया जाता है। इस जो दो खास जमातें गांव को कंगाली बनाने के लिये और बेरोजगारी के लिये जिम्मेदार हैं, उन्हें एकदम छोड़ दिया गया। श्रमजीवियों को आपसमें लड़ाओ यही कांग्रेसी पूंजीपति जमीन्दार चण्डाल चौकड़ी की नीति है।

सी. आई. टी. यू. श्रमजीवी शहरी जन गण पर टैक्सों के नये बोझ लादने की चाल की निन्दा अवश्य करेगी। लेकिन ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग को समझना होगा कि ग्रामीण जनगण के साथ समझौते और उसके समर्थन के बिना लड़ाई असंख्य तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। यह अपने ही स्वार्थ को देखने वाले अर्थवाद की कीमत है। हमारे आन्दोलन को यह स्पष्ट कर देना होगा कि हम गांवों के शाषकों के जनगण को मदद देने के पक्षपाती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नई बेरोजगारी गारंटी योजना सिर्फ आगामी चुनाओं के लिये गांवों के धनियों के चुनाव कोष की योजना है और जनगण को पहले ही की तरह

ठगा जायगा।

## मजदूरों का प्रतिरोध

साथियो, औसतन पन्द्रह लाख मजदूर १९६६ से यानी एक पूरे दशक से हड़ताल कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या का अन्य कोई भी हिस्सा आर्थिक हालतों के खिलाफ, कांग्रेस राज्य के काले कारनामों के खिलाफ इतनी जीवट के साथ नहीं लड़ा।

साथियो, पिछले तीन साल लगातार संघर्ष के वर्ष रहे हैं। १९७२ में हड़तालों और तालाबन्दियों (लाक आउटों) में नष्ट होने वाले काम के दिन २०५ लाख थे। १९७३ में जब हमारा पिछला सम्मेलन हुआ था, यह संख्या २०६ लाख थी। १९७४ में जो कि रेलवे मजदूरों की बहादुराना लड़ाई का वर्ष था, यह संख्या ३१२ लाख थी। यह संख्या सबसे ज्यादा थी, सिर्फ रेलवे मजदूरों ने इसमें ४५ लाख दिन जोड़े थे।

यह बढ़ता प्रतिरोध अपने जीवन मान पर लगातार हमलों को तेजी से चढ़ती कीमतों को जाली जीवन मान निर्देशांक और वस्तुओं के अभाव से बाजार में मची लूट-खसोट को मजदूर वर्ग का जवाब था।

रेलवे के मजदूरों ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने जीवन बीमा और अन्य उद्योगों के कर्मचारियों ने प० बंगाल की बहादुराना चटकल हड़तालों ने, तमिलनाडु, बम्बई और दिल्ली के कपड़ा मिल मजदूरों ने, रानीगंज और धनबाद के खान मजदूरों ने, दुर्गापुर के मजदूरों ने, भरतपुर, कोटा और जयपुर के मजदूरों ने सबने इस महान सग्राम में वीरतापूर्ण पाट अदा किया है। साथियो, इन हड़तालों के पीछे पुलिस के जुल्म, दण्ड, गुण्डा आतंक और भाड़े के मालिकों के गिरोहों के खिलाफ साहसपूर्ण लड़ाई की कहानी है। इस संघर्ष में कितनों ही ने अपने जीवन की बलि दी है।

इन संघर्षों से हम अक्सर हमले को पराजित करने और अपने हितों को आगे बढ़ाने में भी समर्थ हुए हैं। संकट के बावजूद बहुत से हिस्सों ने महत्व-पूर्ण जीतें हासिल की हैं और यूनियनवाद को आगे बढ़ाया है।

साथियो, फिर भी महंगाई के कारण हमारी असली मजदूरी काफी कम हो गयी है। सभी जानते हैं कि सरकारी आकड़ों के अनुसार भी १९६१-७१ के बीच असली मजदूरी में कोई बृद्धि नहीं हुई। बढ़ती हड़ताल की स्तर ने खासकर, बीच के वर्षो में गिरी मजदूरी को फिर से पाने की कोशिश की थी। अनुमान लगाया जाता है कि असंगठित उद्योगों में मजदूरों की मजूरी कम से

कम ३० प्रतिशत गिरी है।

लेकिन वह परिस्थिति जिसका सामना हम अब कर रहें हैं और आगे करेंगे, उस परिस्थिति से भिन्न है जिसका सामना करने के हम अभ्यस्त हैं। हमारी मजदूरी और जीवन मान की रक्षा का प्रश्न बड़े राजनीतिक प्रश्नों और राजनीतिक घटनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया है। भारत को झकझोर देने वाली राजनीतिक घटनायें और शोषक वर्गों की चालें हमारे दैनिक संघर्षों के संचालन पर अब सीधा असर डाल रही हैं। अगर हम यह बात नहीं समझते तो हमें पूरी तरह बाजी मात दे दी जायगी।

वेतन जाम कानून का राजनीतिक महत्व क्या है? क्या यह कोई क्षणिक कानून है जो वापस ले लिया जायगा और भुला दिया जायगा? वेतन जाम कानून के बाद ही चटकल मजदूरों का महंगाई भत्ता डी. आई. आर. के फरमान के जरिये निर्धारित किया गया। मजदूरी या महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिये सरकार की मर्जी के अनुसार उसे आर्थिक रूप में देने या बिल्कुल वापस ले लेने के लिये कानून. कार्यकारिणी का हुक्म यह एकदम नयी बात है। यह ट्रेड यूनियनवाद और सामूहिक सौदेबाजी के अन्त का, मजदूर वर्ग के वर्ग संघर्ष के दमन का आरम्भ है। यह मजदूरों की मजदूरी पर पुलिस का पहरा बैठाने की नीति है—ट्रेड यूनियन आन्दोलन में खुली तानाशाही का आरंभ है।

सामूहिक सौदेबाजी और संघर्ष का अधिकार पहले ही छीना जा रहा था। यह एअर लाइंस के हड़ताल में, एअर इण्डिया इन्टरनेशनल की हड़ताल में देखा जा चुका था। उनसे ट्रेड यूनियन संगठन खत्म कर देने की खुली मांगें की गयी थीं।

पर वेतन जाम कानून एक भोंड़ा सा कदम है। इसका स्थान जरूर ही राष्ट्रीय मजदूरी नीति लेने जा रही है। यह ऐसा कानून होगा जो मजदूरी सम्बन्धी सारी मांगों को सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के हाथ सौंप देगा।

आई. एन. टी. यू. सी. के महासचिव श्री रामानुजम ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय मजदूरी आयोग मजदूरों के साथ न्याय करने की जगह मजदूरों की मजदूरी को सीमित रखने के लिये पहरेदार का काम करेगा। "कारखानों और उद्योगों में मजदूरी सम्बन्धी सभी समझौतों और फैसलों को पक्का तभी समझा जाना चाहिये जब ऐसा राष्ट्रीय मजदूरी आय आयुक्त (कमिश्नर) अपनी सम्मति उस पर दे दे। आयुक्त का काम देख-रेख और संशोधन दोनों होना चाहिये ताकि एक ही किस्म के काम के लिये मजदूरों की मजदूरी में

स्पष्ट दीख पड़ने वाले नाजायज फर्क और अनुपातहीन ज्यादा मजदूरी कम की जा सकें।" मजदूरी को सीमित करने और काम करने पर जोर देकर इस हड़ताल तोड़ने वाली कठपुतली ने अपने आत्मा के मन की बात कह दी है।

नयी नीति को आय और मजदूरी नीति कहा जाता है, लेकिन जैसा कि सब पूँजीवादी देशों का अनुभव है, वह केवल मजदूरी नियंत्रण नीति होगी। राष्ट्रीय आय, सापेक्ष आदि की बातों के जरिये उस पर पतली सी वैज्ञानिक कलई चढ़ायी जा रही है। इसके अन्तर्गत उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी २०० रु० से ज्यादा न होगी। इस न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित कर सरकार समझ लेगी कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मजदूरी में और भी कोई बढ़ोत्तरी बहुत सी बातों पर निर्भर करेगी। इनमें राष्ट्रीय आय उन मजदूरों की मजूरी की हालत भी शामिल रहेगी जो संगठित होने और अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। मजदूरी की बढ़ोत्तरी मजाक बन जायगी। न तो मजदूरों की जरूरतें, न उद्योग के मुनाफे और न मजदूर द्वारा किया गया काम इसे निश्चित करेगा। जीवन यापन व्यय में वृद्धि को पूर्णरूप से निष्क्रय बनाने अर्थात् महंगाई के समान मजदूरी बढ़ाने का सिद्धान्त अधिकांश मजदूरों के बारे में लागू न किया जायगा। जिन्हें कीमतें चढ़ाने की सरकारी नीतियों के पूरे तूफान का सामान करना पड़ेगा। मजूरी की आय को उत्पादकता के साथ जोड़ने के नाम पर नाममात्र की बढ़ोत्तरी देने के पहले मजदूरों का अत्यधिक शोषण सुनिश्चित कर दिया जायगा। यह सब असमानता कम करने के नाम पर किया जा रहा है मानो कि वर्तमान समाज की बुनियादी असमानता मजदूरों की कमाई में फर्क है, वर्गों की कमाइयों के बीच का फर्क नहीं, मजदूर की मजूरी और टाटा बिड़ला आदि के इजारदाना मुनाफों के बीच के फर्क नहीं।

सुखमय चक्रवर्ती की रिपोर्ट, जो तथाकथित मजूरी नीति का आधार है, मजदूरों के विभिन्न हिस्सों में फूट डालने और मजदूरी के भुगतान की वैज्ञानिक प्रथा जारी करने का दावा कर जन साधारण को बेवकूफ बनाने का हथियार है। वह देहात में कम आमदनी और असंगठित उद्योगों के मजदूरों की आमदनी के बारे में बातें करने की हमेशा चालबाजी का सहारा लेती है। वह संगठित उद्योगों के मजदूरों को एक ऐसे अनुग्रह प्राप्त वर्ग के रूप में दिखाती है और कहती है कि उनकी आय को अवश्य कम कर दिया जाना चाहिये और भारत के सबसे कम मजूरी पाने वाले हिस्से की आय के बराबर कर देना

चाहिये ।

ये मक्कार फर्क कम करने के लिये कम महीना पानेवालों मजदूरों की मजूरी बढ़ाने की बात नहीं करते । वे सिर्फ वर्तमान स्तरों को सिर्फ गिराने की बात करते हैं ।

मजदूरी की वैज्ञानिक प्रथा का आधार न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित सुनिश्चित मजदूरी को बनाया जा सकता है । अगर फौरन हर जगह ऐसा करना सम्भव न हो तो इस न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के लिये समय की सीमा निर्धारित की जा सकती है । केवल इस न्यूनतम के आधार पर ही दक्षता आदि पर आधारित सापेक्षों के बारे में फलदायक बात की जा सकती है । अवश्य ही इसके माने होंगे कि पूँजीपतियों के मुनाफे समाज के हाथ में होंगे ।

वैज्ञानिक राष्ट्रीय मज़दूरी नीति का यह खोज हमारी गरीबी की मारी जनसंख्या के सबसे नीचे के ३० प्रतिशत के साथ न्याय करसे के नाम पर शुरू की गयीं थीं । आप सबको याद होगा कि यह वह बड़ा नारा था जिसे लेकर पांचवीं पांचसाला योजना शुरू हुई थी । आजकल आपको अभाने ३० प्रतिशत की हालत सुधारने के बारे में कोई बात सुनायी नहीं पड़ती क्योंकि संकट और योजना के अवकाश काल के सबसे पहले शिकार वही हुये थे । अब जो बाकी रह गया है, वह दूसरे हिस्सों की आमदनी पर आक्रमण है ।

## नया औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

तानाशाही के शास्त्रागार में जिस तीसरे अस्त्र का निर्माण हो रहा है, वह है नया औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक । उसका मकसद हड़तालों पर प्रायः निषिद्ध कर देना और मजदूरों पर जबर्दस्ती पंच निर्णय लाद देने की व्यवस्था करना है । लेकिन हड़ताल पर रोक लगाने या उन्हें निषिद्ध कर देने से भी ज्यादा बातें इस विधेयक में हैं ।

विधेयक का खास सम्बन्ध सौदा करने वाले एजेन्टों को चुनने की व्यवस्था करना है अर्थात् यह तय करना है कि मालिकों के साथ समझौते की बातचीत में मजदूरों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा । यह ट्रेड यूनियन की मान्यता का प्रश्न है । इन मक्कार जनतंत्रवादियों, उन लोगों की जो सरकार चलाते हैं और उनके जी हुजूर इन्टक और ऐटक के नेताओं की खोपड़ी में यह नहीं घुसता कि विवाद हालत में सौदा करने वाले एजेण्ट के चुनाव का जनतांत्रिक तरीका मजदूरों का वोट लेना है, लेकिन इसी से तो वे बचना चाहते हैं ताकि उनकी कठपुतलियों को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा दिया जा सके ।

मालिक और श्रीमती गांधी समेत केन्द्रीय मन्त्री यूनियनों की बहुसंख्या के बारे में अपनी प्रचारात्मक बातों के जरिये इसकी जमीन तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि हड़तालों में वृद्धि का कारण मजदूरों की हालत का बदतर होना नहीं, बल्कि बहुत सी यूनियनों का होना है। मजदूरों को अवश्य ही मवेशी समझा जा रहा है जो किसी भी शिकवा-शिकायत के बिना महीनों जोर जुल्म सहने को तैयार हैं। अब मक्कारी के साथ तर्क दिया जा रहा है कि समझौते की बातचीत सफलता के साथ तबतक नहीं की जा सकती जबतक मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार सिर्फ एक ही यूनियन को नहीं दिया जाता। क्या यूनियनों की बहुसंख्या से सरकार सचमुच बहुत चिन्तित है ? तब उसे खुद अपनी निन्दा करनी चाहिये, उस नीति की निन्दा करनी चाहिये जिस पर वह अब तक चलती रही है और पूंजीपति वर्ग की निन्दा करनी चाहिये। अगर लड़ाकू यूनियनों पर लगातार दमन चक्र न चलाया जाता और भ्रष्ट नेताओं तथा संगठनों के सर पर बरदहस्त न रखा जाता, तो यूनियनों की बहुसंख्या के बारेमें शिकायत करने का कारण ही न होता। लेकिन शासक पार्टी ने मान्यता देकर अपनी पार्टी की यूनियनों को बढ़ावा देने की लगातार नीति अपनायी। आज यूनियनों की बहुसंख्या मुख्यतः कांग्रेस की इस नीति से, असली लड़ाकू यूनियनों को मान्यता देने की अस्वीकृति से पैदा होती है। ऐसी हालतों में यूनियनों की बहुलता के खिलाफ प्रचार का उद्देश्य सिर्फ एक है और वह है कानून के जरिये कांग्रेस और उसके मित्रों के लिये ट्रेड यूनियनों के संचालन की एकमात्र इजारेदारी प्राप्त कर लेना और बाकी सब ट्रेड यूनियनों को गैर कानूनी कर देना।

साथियो, नये प्रस्तावित कानून का यही मुख्य उद्देश्य है। यह शैतानी से भरा मकसद है। प्रधान मन्त्री के मुंह से एक यूनियन का, एक सौदा करने वाले एजेन्ट का नारा, देश में एक राजनीतिक पार्टी के नारे से सिर्फ एक ही कदम पीछे है, यह मुजीबुर रहमान की तरह, जिनके कारनामों की प्रशंसा प्रधान मन्त्री ने की है, तानाशाही की तरफ ले जाने की तैयारी है।

यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सी. आई. टी. यू. की यूनियनों ने या हमारे मित्रों ने उस खतरे को समझ लिया है जिसे सरकार एटक और इन्टक के अवसरवादी नेताओं से सांठ-गांठ कर गुप्त रूप से उनके लिये पैदा किया है। एटक के नेता मजदूरों के साथ किस सोलहो आने गद्दारी की तैयार कर रहे हैं, उसकी निन्दा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जानी चाहिये। यह बड़ी ही शर्म

और नफरत की बात है कि विश्व ट्रेड यूनियन संघ (डब्ल्यू. एफ. टी. यू), जिसमें फ्रांस और इटली के, तथा समाजवादी देशों के लड़ाकू मजदूर संगठन शामिल हैं, भारत में अपने से सम्बन्धित संगठन को ट्रेड यूनियन आन्दोलन के साथ गद्दार का काम करने और पूंजीपति जमीन्दार वर्गों के साथ सहयोग करने की इजाजत दे रहा है।

साथियो, हमने कहा है कि ऐसी वारातें हो जाती है जब लगता हैं कि यूनियनों के बीच मतभेद के कारण विरोध पैदा हुआ है। लेकिन ये आम तौर पर तक होती है जब सरकार और व्यवस्थापक मजदूरों की पीठ पीछे खैरख्वाह यूनियन नेताओं के साथ मजदूर वर्ग विरोधी समझौतों पर दस्खत करते हैं और सच्चे प्रतिनिधि संगठन को पूछते ही नहीं। इसके साथ ही क्या यह नहीं मालूम कि पिछले दिनों एकता के लिये बढ़ती रूझान देखा गया है, कि कितने ही अवसरों पर सी. आई. टी. यू., ए. आई. टी. यू. सी और आई. एन. टी. यू. सी,, एच. एम. एस., यू. टी. यू. सी सबने एक ही सवाल पर हाथ मिलाया है? क्या सरकार या व्यस्थापकों का रुख उस समय बदल गया था जब सबके सब यूनियनें ने एक साथ मिलकर खड़ी हुई थी। सभी अच्छी तरह जानते हैं कि प० बंगाल की पिछली चटकल हड़ताल में, जबकि सब यूनियनें एक साथ खड़ी थीं क्या हुआ? सरकार और मालिकों ने मजदूरों कों भूखों मारने और इन्टक के नेताओं को फोड़कर मजदूरों की एकता तोड़ने में हाथ मिलाया था। रेलवे हड़ताल के दौरान क्या हुआ जब १०० से ज्यादा रेलवे यूनियनें एक साथ खड़ी थीं? सरकार क्यों एन. सी. सी. आर. एस. से, जिसमें सब रेलवे यूनियन शामिल हैं, मिलने से इन्कार करती है?

साथियो, हमने अपनी स्थिति बराबर साफ की है। हम एक उद्योग में एक ही यूनियन का समर्थन करते हैं जिसे मजदूरों ने स्वतन्त्रतापूर्वक चुना हो और जो शोषक वर्गों या उनकी सरकार द्वारा न लादी गयी हो। जब तक मजदूर जनतांत्रिक ढंग से काम करने वाली एक ही यूनियन में, जिसकी कमेटियां जनतांत्रिक ढंग से चुनी गयी हों, विश्वास नहीं करने लगते तब तक हम सब सच्चे संगठनों से सहयोग करते रहेंगे। सी. आई. टी. यू. गुप्त मतदान के आधार पर यूनियन की मान्यता का समर्थन करती है और मांग करती है कि नेतृत्व द्वारा किये गये सारे समझौतों की पुष्टि मजदूरों द्वारा की जानी चाहिये।

साथियो, हमारे पिछले अधिवेशन से अब तक के दो वर्षों ने ट्रेड यूनियन

आन्दोलन के प्रति सरकारी नीतियों में तानाशाही रूझानों की बहुत तेज बृद्धि देखी गयी है। एक सरकारी यूनियन, एक सरकारी मजदूरी, कोई हड़ताल नहीं—ये नये रूझान के नारे हैं। इन्हें अमल में लाने के हथियार हैं गुण्डा गिरोह।

यह रूझान उसका प्रतिफलन है जो देश में हो रहा है, जो देश के जनतंत्र के साथ हो रहा है।

## राजनीतिक दमन

देहात में किसान आंदोलन की कमजोरी और मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना की कमजोरी की वजह से शासक पार्टी जनतांत्रिक आन्दोलन के साथ बेरहमी से पेश आ पाती है और लड़ाकू जनता पर हर किस्म का जुल्म ढा पाती है, मैं पहले ही ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर व्यापक पैमाने पर होने वाले दमन का जिक्र कर चुका हूँ। यह जुल्म विद्यार्थियों, किसानों, खेत मजदूरों, शिक्षकों और अछूतों समेत जनता के सब हिस्सों को भोगना पड़ा है। जो सरकार उनके साथ संघर्ष के दौरान बेरहमी से पेश आती है वह उस वक्त भी उनके साथ उतनी ही क्रूर हो जाती है जब वे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिये जाते हैं। भारत में राजनीतिक कैदियों के साथ व्यक्त अन्तर्राष्ट्रीय घोटाला बन गया है। आश्चर्य की बात नहीं कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं दिया जो चिली के फासिस्ट गिरोह द्वारा जेल में बन्द सब राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करता था। पिटाई, गोली यंत्रणा सब इस कदर बढ़ गयी हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि जेल के कैदियों के भी कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिन्हें कोई भी नौकरशाही बूटों तले कुचल नहीं सकती। इनके साथ ही जोड़ दीजिये बिहार के जिम्मेदार नेताओं का यह बयान कि बिहार में कुछ जेलखानों में कैद औरतों को प्रायः नंगा रखा जाता है; अधिकारी जेल के नियमों के अनुसार कपड़े देने से इन्कार करते हैं।

भुखमरी, चड़ी कीमतों और राजनीतिक दमन के इसी राज के खिलाफ, जिसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा व्यापक भ्रष्टाचार भी चलता है, जनता ने लड़ना आरम्भ किया है और मांग कर रही है कि उसकी तकलीफें जल्दी दूर की जांय।

केरल में अच्युत मेनम मंत्रिमण्डल की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शक्तिशाली आंन्दोलन इसी विकासमान प्रतिवाद का अंग है। हमारी सी.

आई. टी. यू. इसमें प्रमुख पार्ट ले रही है। इस आन्दोलन के खिलाफ कांग्रेस दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट मंत्रिमण्डल के अभूत पूर्व दमन चक्र चलाया है। हजारों लोग गिरफ्तार किये गये हैं सैकड़ों की पिटाई की गयी है और पुलिस हिरासत में औरतों के साथ बलात्काग किये गये हैं। केरल में सी. आई. टी. यू. और अन्य जनतांत्रिक संगठनों के १३० से ज्यादा कार्यकर्त्ता मंत्रिमण्डल के भाड़े के गुण्डों द्वारा मार दिये गये हैं। लोग मन्त्रिमंडल के इस्तीफे और विधान सभा के विघटन की मांग कर रहे हैं।

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार विधान सभा के विघटन के लिये सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई के लिये, चुनाव सुधार के लिये, मिसा, डी. आई. आर., और संकट काल हटाने के लिये आन्दोलन इसी क्रुद्ध प्रतिवाद का अंग है जिसे कई राज्यों में भी आरम्भ करने के लिये लोग कोशिश कर रहे हैं। चुनाव सुधार का सवाल सामने आ गया है क्योंकि कांग्रेस राज के अन्तर्गत पूँजीवादी जनतंत्र का पूर्ण भ्रष्ट चरित्र लोगों की आंखों के सामने बेनकाब हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं बंगाल में चुनाव में पूरी तरह जालसाजी रिगिंग) की गयी है। जनता के चुनने के अधिकार को छीनने की यही कोशिश आगामी चुनावों में बहुत से राज्यों में की जा सकती है। जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में उठायी गयी इन न्यायोचित मांगों के खिलाफ सरकार ने निर्मम दमन चक्र चलाया है हजारों को गिरफ्तार किया हौ और बहुतों को गोली मार दी है। राजनीतिक पार्टियों को नेताओं क. बिहार से निकाल दिया गया है, आन्दोलन का नेतृत्व करने वालों को जेल में डाल दिया गया है और नजरबन्द कर दिया गया हैं। सारे बिहार में आतंक का राज कायम किया गया है।

इसमें सन्देह नहीं कि आंदोलन के साथ जनसंघ जैसी प्रतिक्रियावादी पार्टियों के होने की वजह से सरकार और उसकी मित्र दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट पार्टी को आन्दोलन के खिलाफ एक हथियार मिलता है। यही नहीं, इससे लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं। यह जनतांत्रिक आन्दोलन की अग्रगति के लिये खतरनाक है। क्योंकि सारे आंदोलन का उद्देश्य ही जहर हो जायेगा अगर उन लोगों का बोलबाला हो जाता है और वे कांग्रेस की जगह चुने जाते हैं जो खुले आम जनतंत्र के विरोधी और जमीन्दार तथा पूंजीवादी शोषण के खिलाफ आंदोलन के विरोधी हैं। ट्रेडयूनियन आन्दोलन और मजदूरवर्ग इस खतरे को कभी भी भूल नहीं सकता। वे इससे होशियार हो और जतता को इससे आगाह करेंगे।

इसके साथ ही संगठित ट्रेडयूनियन आन्दोलन अपनी पूरी ताकत जनशक्ति के मार्गों के पीछे लगायेगा और उनका समर्थन करेगा ।

साथियो, मजदूर वर्ग और ट्रेडयूनियन आन्दोलन को लम्बे अरसे से अपनी नागरिक अधिकारों पर बढ़ते हमले का सामना करना पड़ रहा है । प० बंगाल हमारा आंदोलन अर्ध फासिस्ट आतंक का सामना करता आ रहा है । उसके कुछ हिस्सों में सारे नागरिक अधिकार एकदम खत्म कर दिये गये हैं । हाल में कांग्रेसी गुन्डागिरोंहों का, जिनकी मदद उनके संशोधनवादी सहयोगी कर रहे थे; सामना करने की बारी श्री जयप्रकाश नारायण की आयी थी । यह साफ है कि अगर सब जनतांत्रिक संगठन नागरिक अधिकारों के लिये हाथ नहीं मिलाते तो कांग्रेस सरकार उन्हें जल्दी ही खत्म कर देगी । नागरिक अधिकारों की रक्षा की इस लड़ाई को संगठित करने में सी. आई. टी. यू. और उसकी यूनियनों के पहल करनी होगी ।

सारे जनतांत्रिक उद्देश्यों और आन्दोलन का पूरा समर्थन करते हुए सी. आई. टी. यू. की यूनियनें कभी भी भूल नहीं सकतीं कि केवल वामपंथी और जनतांत्रिक शक्तियों की बढ़ती एकता ही कांग्रेसी जालिमों को शिकस्त दे सकती है । हमारे सारी कोशिश इस दिशा में होनी चाहिये ।

यह कर सकने के लिये हमें मजदूर वर्ग और ट्रेडयूनियन आंदोलन के सामने उपस्थित चिन्तनीय आर्थिक परिस्थिति के खिलाफ बराबर लड़ना होगा । यह हालत कारखानों के बन्द हो जाने, नौकरी चले जाने औक मजदूरी कम किये जाने का संकेत करती हैं ।

यह ऐसा खतरा है जो सारे मजदूर वर्ग और कर्मचारियों के सामने हाजिर हैं । यह हमारे मेहनतकशों के सब हिस्सों के लिये-खेत मजदूरों, गरीब किसानों के लिये खतरा पैदा कर रही है । यह हालत सरकार की पूंजीपति-जमीन्दार-परस्त नीतियों के कारण पैदा हुई है, उन नीतियों के कारण जो विदेशी और भारतीय इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफों की रक्षा करती है और मजदूरों तथा मेहनतकशों की आय पर आक्रमण करती है ।

इसका तकाजा है कि सारा मजदूर वर्ग, सारी ट्रेडयूनियनें इस हमले का मुकाबिला करने के लिये एकजुट हों । यह हमला वेतन जामसे ज्यादा सर्वव्यापी और हानिकारक है । मजदूरों और कर्मचारियों ने दिल्ली के अगस्त कन्वेन्शन में अभूतपूर्व एकता हासिल की थी और विभिन्न कन्वेन्शनों, और सर्वोपरि हड़ताल और बन्दों में इस लड़ाई को आगे बढ़ाया था । संग्राम के मैदान में पैदा हुई

इस एकता को भावी आक्रमण को रोकने के लिये और भी मजबूत करना होगा। बेरोजगारों के खतरे के खिलाफ मजदूरों को एकजुट होकर काम के अधिकार और बेरोजगारी भत्ते के लिये मांग बुलन्द करनी होगी। उन्हें चढ़ती कीमतों और वेतन जाम के खिलाफ आवाज बुलन्द करनी रोगी। उन्हें मांग करनी होगी कि मुनाफों में भारी कटौती की जाय, इजारेदार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण किया जाय, जमीन्दारों का खाद्य स्टाक जप्त किया जाय ताकि उसे लोगों को उनकी पहुंच के अन्दर की कीमत पर दिया जा सके। आवश्यकता पर आधारित मजदूरी की मांग करते हुए उन्हें मांग करनी होगी कि खेत मज़दूरों की जिन्दा रहने की हालत बेहतरीन बनायी जाय, किसानों को अपनी पैदावार के लिये उचित कीमत दी जाय, और इजारेदार पूंजीपतियों, बड़े पूंजीपतियों और जमीन्दारों पर भारी टैक्स लगाये जायँ। उन्हें यह भी मांग करनी होगी कि काला बाजार खत्म किया जाय और कालाबाजारी के जरिये कमाया गया सारा धन जप्त किया जाय।

सिर्फ इसी कार्यक्रम के जरिये मजदूर संकट को अपने और जनता के कन्धों पर लादने की पूँजीपतियों और जमीन्दारों की कोशिशों के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसी कार्यक्रम के जरिये वे देश में एक पार्टी की तानाशाही चालू करने की शासक पार्टी की कोशिशों के खिलाफ लड़ सकते हैं। ●

सेन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिये एम० के० पंधे द्वारा १७२, लेनिन शरणी, कलकत्ता-१३ से प्रकाशित और गल्प भारती प्रेस, १६/१७, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता-१२ से मुद्रित